BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1 of 2025

IN THE MATTER OF:

KAVITA …APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND AND ORS. …RESPONDENTS

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE
1	Counter Affidavit on behalf of the Respondent No. 5, Sh. Ratan Singh Aswal to the Joint Committee report dated 12.3.2025	1-32
2	**Annexure A1/1** True copy of the relevant part of the Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023	33-103

For and on behalf of Respondent no. 5

Nandita

Nandita Bansal
Advocate
A-26, Basement,
Jangpura Extension,
New Delhi-14

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1 of 2025

IN THE MATTER OF:

KAVITA …APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND AND ORS. …RESPONDENTS

COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 5 – SHRI RATAN SINGH ASWAL TO THE JOINT COMMITTEE REPORT DATED 12.03.2025

1. That the present affidavit is being filed on behalf of Respondent No. 5 (Project Proponent) in response to the Joint Committee Report dated 12.03.2025 filed before this Hon'ble Tribunal pursuant to the order dated 24.01.2025 passed in the present Original Application. The present reply is being filed without prejudice to the rights and contentions of Respondent No. 5, including the objection that the present Original Application is not maintainable being barred by limitation under Section 14(3) of the National Green Tribunal Act, 2010.

2. That Respondent No. 5 further respectfully submits that the said Joint Committee Report, upon a proper reading of its contents, does not establish any violation of environmental laws or regulatory conditions on the part of the Project Proponent and, in fact, records several material facts which clearly demonstrate that the project has obtained all requisite statutory approvals in accordance with law.
3. That at the very outset, Respondent No. 5 denies all adverse observations, allegations and conclusions contained in the Joint Committee Report to the extent that they may be construed as imputing any illegality, environmental violation or regulatory non-compliance on the part of the Project Proponent. It is respectfully submitted that the findings of the Joint Committee, when read in their entirety, do not attribute any unlawful activity or environmental damage to Respondent No. 5.
4. That it is further submitted that the Joint Committee itself has recorded that mining operations at the subject site have not yet commenced. Consequently, there exists no factual basis for any allegation of environmental degradation, pollution or ecological harm arising from the activities of Respondent No. 5. The allegations made in the Original

Application are therefore speculative, conjectural and based on mere apprehensions rather than any demonstrable environmental injury.

5. That Respondent No. 5 respectfully submits that the project in question has undergone a long and rigorous statutory process spanning several years, including grant of Environmental Clearance, approval of the Mining Plan, execution of the Mining Lease and issuance of Consent to Establish and Consent to Operate by the competent authorities. These approvals were granted by the concerned regulatory authorities after due appraisal in accordance with the applicable legal framework.

6. That Respondent No. 5 further submits and reiterates that the maintainability of the present Original Application is itself seriously disputed in view of the limitation prescribed under Section 14(3) of the National Green Tribunal Act, 2010. Respondent No. 5 reserves its right to raise all objections with respect to the maintainability of the present proceedings, including the bar of limitation, at the appropriate stage before this Hon’ble Tribunal. Without prejudice to the said objections, the present affidavit is being filed in response to the Joint Committee Report in order to assist this Hon’ble Tribunal in appreciating the correct factual and legal position.

PRELIMINARY SUBMISSIONS

7. That before responding to the observations recorded in the Joint Committee Report, it is respectfully submitted that the project in question has evolved through a long statutory process spanning nearly two decades. For the sake of clarity and convenience of this Hon'ble Tribunal, the relevant sequence of statutory and procedural events relating to the project is reproduced herein below:

S. No.	Date	Document/Event/Action
1	21.09.2005	Respondent No. 5, Shri Ratan Singh Aswal s/o Shri Abdayal Singh Aswal, submitted an application before the office of the District Magistrate, Uttarkashi seeking grant of mining lease for extraction of silica sand over an area of 99.81 hectares in Village Kukreda and Bhakwad, Tehsil Mori, District Uttarkashi, along with No Objection Certificates from concerned landowners.
2	07.11.2005 & 29.04.2006	The District Magistrate, Uttarkashi vide letters dated 07.11.2005 and 29.04.2006 directed the Divisional Forest Officer, Tons Forest Division,

S. No.	Date	Document/Event/Action
		Purola and the Geologist, District Task Force, Uttarkashi to furnish their respective reports regarding the proposed mining lease.
3	16.11.2007	A detailed geological report was submitted to the District Magistrate, Uttarkashi by the committee comprising the Divisional Forest Officer and the Geologist, District Task Force.
4	20.03.2008	The Industrial Development Section–1, Government of Uttarakhand issued a Letter of Intent (LoI) in favour of Respondent No. 5 for the proposed mining project i.e. 99.81-hectare area in Village Kukreda and Bhakwad, Tehsil Mori, in favour of Shri Ratan Singh Aswal
5	03.02.2014	The Industrial Development Section-1, Government of Uttarakhand, granted a Prospecting Licence for extraction of silica sand over an area of 35.944 hectares in Village Kukreda and Bhakwad was granted in favour of Respondent No. 5.

S. No.	Date	Document/Event/Action
6	09.03.2015	The Prospecting report was prepared and submitted by Respondent No. 5 detailing the results of exploration within the licensed area.
7	02.09.2015	Based on the prospecting report, the Mining Department forwarded the investigation report along with its recommendation to the District Magistrate, Uttarkashi.
8	26.02.2016	The Industrial Development Section–1, Government of Uttarakhand issued a Letter of Intent granting approval for silica sand mining over an area of 35.944 hectares in Village Kukreda and Bhakwad, Tehsil Mori for a period of 50 years.
9	06.02.2017	The Director, Geology and Mining Unit, Dehradun approved the five-year mining plan submitted by Respondent No. 5. The approved extraction quantity was 39,569 tonnes for the 1st year, 66,841 tonnes for the 2nd year, 88,879 tonnes for the 3rd

S. No.	Date	Document/Event/Action
		year, 1,17,126 tonnes for the 4th year, and 1,75,017 tonnes for the 5th year.
10	06.07.2020	The Industrial Development Section-1, Government of Uttarakhand, granted final approval for silica sand mining over 35.944 hectares for a period of 50 years in favour of the Project Proponent
11	25.03.2021	Advertisement for public hearing for Environmental Clearance of the proposed project was published by the Uttarakhand Pollution Control Board in local newspapers.
12	30.04.2021	Public hearing for grant of Environmental Clearance was conducted in Village Bhakwad, Tehsil Mori, District Uttarkashi in presence of the concerned officials and local residents. The Minutes of Meeting were recorded.

S. No.	Date	Document/Event/Action
13	12.08.2021	Environmental Clearance for the project was granted by the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Uttarakhand.
14	02.11.2021	Consent to Establish was issued by the Uttarakhand Pollution Control Board under the the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.
15	01.07.2023	Mining Lease Deed for a period of 50 years was executed by the Government of Uttarakhand in favour of Respondent No. 5, pursuant to the LoI dated 26.02.2016.
16	03.02.2024	Consolidated Consent to Operate (CTO) was issued by the Uttarakhand Pollution Control Board under the Air Act, 1981 and Water Act, 1974.

8. That the aforesaid chronology, which is also reflected in the records examined by the Joint Committee, clearly demonstrates that the

project in question has undergone a detailed statutory process over several years and that all requisite approvals were granted by the competent authorities in accordance with the applicable legal framework. Significantly, the last statutory approval granted to Respondent No. 5 is the Consent to Operate dated 03.02.2024 issued by the Uttarakhand Pollution Control Board. In terms of Section 14(3) of the National Green Tribunal Act, 2010, any application raising a substantial environmental dispute is required to be filed within six months from the date on which the cause of action first arose, extendable by a further period of sixty days upon sufficient cause being shown.

9. That if the limitation prescribed under Section 14(3) of the National Green Tribunal Act, 2010 is computed from the aforesaid date, the maximum permissible period for initiating proceedings would have expired on 03.10.2024. However, the letter which forms the basis of the present Original Application is dated 21.11.2024, i.e., well beyond the statutory period prescribed under the Act. Consequently, the present proceedings are ex facie barred by limitation.

10. That it is a settled principle that the National Green Tribunal Act, 2010 constitutes a self-contained statutory framework governing the

jurisdiction, procedure and limitation applicable to environmental disputes brought before this Hon'ble Tribunal. Where the legislature has consciously prescribed a specific limitation period together with a defined extent of condonable delay, the Tribunal cannot assume jurisdiction beyond such statutory limits. Consequently, the present proceedings, having been initiated beyond the maximum permissible period prescribed under Section 14(3) of the Act, are not maintainable in law.

11. That without prejudice to the aforesaid objection regarding maintainability, it is further submitted that the Joint Committee Report itself does not record any environmental violation, illegality or operational activity attributable to Respondent No. 5. On the contrary, the Joint Committee has expressly recorded that mining operations at the subject site have not yet commenced. In the absence of any operational activity, the allegation of environmental degradation or pollution is entirely speculative and devoid of any factual foundation.

12. That it is further evident from the Joint Committee Report that the project in question has undergone the requisite statutory appraisal process and has obtained all necessary approvals from the competent authorities, including approval of the mining plan, grant of

Environmental Clearance by the State Environment Impact Assessment Authority, issuance of Consent to Establish and Consent to Operate by the Uttarakhand Pollution Control Board, and execution of the mining lease by the State Government. These approvals were granted by the competent statutory authorities after due consideration of the applicable regulatory framework.

13. That the allegations raised in the Original Application are primarily premised upon apprehensions regarding possible environmental impact and an incorrect interpretation of subsequent regulatory provisions. The Joint Committee itself has observed that the mining lease and associated approvals were granted under the applicable policy framework prevailing at the relevant time. Therefore, the attempt to retrospectively question approvals granted several years earlier is legally untenable.

14. That it is further submitted that the grievance raised in the present proceedings proceeds on an erroneous assumption that the provisions of the Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023 would apply retrospectively so as to affect approvals granted under the earlier policy framework. In this regard, it is pertinent to note that the proviso to Rule 3(1) of the Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules,

2023 expressly provides that nothing contained in the said Rules shall affect mining operations undertaken in accordance with the terms and conditions of a mining lease or Letter of Intent (LoI) granted prior to the commencement of the said Rules. In the present case, the Letter of Intent dated 26.02.2016 was issued in favour of Respondent No. 5 much prior to the coming into force of the 2023 Rules, and therefore the rights flowing from the said approval remain unaffected by the subsequent promulgation of the said Rules.

15. That it is further submitted that the Joint Committee Report, when read as a whole, does not recommend cancellation of the project approvals or record any finding of environmental illegality on the part of Respondent No. 5. It is respectfully submitted that the grievance relating to consent of private landowners is wholly untenable. The Project Proponent had already obtained the consent of the concerned landowners on duly executed stamp papers in the year 2007, which fact has also been recorded in the Joint Committee Report itself. Once the consent of the landowners has already been obtained and forms part of the record, the question of obtaining the same consent again does not arise. The complaint raising such issues therefore appears to

be lacking in bona fide intent and has resulted in unnecessary proceedings against the Project Proponent.

16. That in view of the above circumstances, the present proceedings appear to have been initiated on the basis of apprehensions rather than any demonstrable environmental harm. Respondent No. 5 reiterates that it remains fully committed to complying with all conditions imposed under the Environmental Clearance, Mining Plan and statutory consents issued by the competent authorities.

PARAWISE REPLY:

17. That the contents of Para 1 of the Joint Committee Report are a matter of record to the extent that this Hon'ble Tribunal, vide order dated 24.01.2025, was pleased to constitute a Joint Committee comprising representatives of CPCB, UKPCB, District Mining Officer and District Magistrate, Uttarkashi for the purpose of verification of the allegations raised in the Original Application and submission of a report before this Hon'ble Tribunal. It is further a matter of record that, pursuant to the said order, the officials mentioned therein carried out a site visit. Save and except what is a matter of record, the remaining contents, if any, not specifically admitted herein are denied.

18. That the contents of Para 2 of the Joint Committee Report are a matter of record to the extent that the Joint Committee carried out a site inspection on 03.03.2025 at the project site located in Village Kukreda and Bhakwad, Tehsil Mori, District Uttarkashi, in compliance with the order dated 24.01.2025 passed by this Hon'ble Tribunal. It is further submitted that Respondent No. 5 was duly present during the said inspection and fully cooperated with the Joint Committee and the concerned authorities during the site visit. The contents relating to the presence of the complainant, officials of the Revenue Department and the annexed attendance sheet are matters of record. Save and except what is specifically admitted herein, the remaining contents, if any, are denied.

19. That the contents of Para 2 (Points 1 to 13) of the Joint Committee Report are largely matters of record and correctly reflect the chronological sequence of statutory and administrative steps undertaken in relation to the project of Respondent No. 5. It is respectfully submitted that the said chronology demonstrates that the project has undergone detailed scrutiny by the competent authorities over a considerable period of time and that all requisite approvals were

granted strictly in accordance with the applicable statutory framework and policy governing mining activities in the State of Uttarakhand.

It is further submitted that the application for grant of mining lease, the prospecting licence, the Letters of Intent issued by the Government of Uttarakhand, the approval of the mining plan, the conduct of public hearing, preparation of the Environmental Impact Assessment (EIA) report, grant of Environmental Clearance by SEIAA, and issuance of Consent to Establish by the Uttarakhand Pollution Control Board were all undertaken by the competent statutory authorities after due consideration of the applicable legal requirements.

The said sequence of events clearly establishes that the project in question has been subjected to a comprehensive regulatory process and that the approvals were granted by the competent authorities in accordance with the prevailing legal and policy framework. Save and except what is admitted herein as a matter of record, the remaining contents, if any, not specifically admitted are denied.

20. That the contents of Para 2 (Points 14 and 15) of the Joint Committee Report are matters of record to the extent that the mining lease deed in respect of the project area was executed by the Government of

Uttarakhand on 01.07.2023 in favour of Respondent No. 5 in continuation of the Letter of Intent dated 26.02.2016 issued by the Industrial Development Section–1, Government of Uttarakhand. It is further a matter of record that Consolidated Consent to Operate dated 03.02.2024 under the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 has been granted by the Uttarakhand Pollution Control Board.

It is respectfully submitted that the aforesaid approvals further demonstrate that the project has been granted all requisite statutory permissions by the competent authorities after due appraisal under the applicable regulatory framework.

With respect to Point 16, it is submitted that the Joint Committee itself has categorically recorded that mining operations at the project site have not yet commenced. The said finding clearly establishes that there has been no operational activity at the site and consequently no environmental impact attributable to Respondent No. 5. Save and except what is admitted herein as a matter of record, the remaining contents, if any, are denied.

21. That the contents of Para 3 (Table-1, S. No. 1) of the Joint Committee Report are denied to the extent that the grievance of the complainant suggests that the mining lease granted in favour of Respondent No. 5 for a period of 50 years is in violation of Rule 10(2) of the Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023. It is respectfully submitted that the mining lease in favour of Respondent No. 5 emanates from the Letter of Intent dated 26.02.2016 issued by the Industrial Development Section-1, Government of Uttarakhand under the Uttarakhand Secondary Mineral Policy, 2015, which expressly permitted grant of a mining lease for silica sand for a maximum period of 50 years.

It is further submitted that the case of Respondent No. 5 is squarely covered by the proviso to Rule 3(1) of the Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023, which provides that nothing contained in the said Rules shall affect mining operations undertaken in accordance with the terms and conditions of a mining lease or Letter of Intent (LOI) granted prior to the commencement of the said Rules. In the present case, the Letter of Intent dated 26.02.2016 constitutes the foundational approval for the grant of the mining lease and was issued much prior to the promulgation of the 2023 Rules.

Consequently, the rights flowing from the said approval remain protected under the aforesaid proviso and cannot be altered or curtailed by subsequently framed rules.

It is further submitted that the execution of the lease deed on 01.07.2023 was merely a consequential step taken in continuation of the Letter of Intent and approvals granted much earlier, including approval of the mining plan, conduct of public hearing and grant of Environmental Clearance, all of which were processed under the policy framework prevailing at the relevant time. In these circumstances, the allegation that the mining lease period is contrary to the Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023 is misconceived and proceeds on an incorrect assumption of retrospective applicability of the said Rules.

True copy of the relevant part of the Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023 is annexed and marked herewith as Annexure A1/1.

22. That the contents of Para 3 (Table-1, S. No. 2) of the Joint Committee Report are denied to the extent that the grievance of the complainant alleges that consent of the concerned landowners was either not

obtained or obtained by misrepresentation. It is respectfully submitted that the Joint Committee itself has recorded, on the basis of the report of the Revenue Department, that the total lease area is 35.944 hectares, out of which 33.723 hectares comprises Government land and only 2.221 hectares pertains to private land belonging to seven landowners.

It is further submitted that the Project Proponent had obtained consent from the concerned landowners in respect of the private land forming part of the lease area on duly executed stamp papers in the year 2007, copies whereof have also been placed on record and noted by the Joint Committee. The allegation that consent was not obtained or was obtained by misrepresentation is therefore unfounded and contrary to the records verified by the competent authorities. Save and except what is a matter of record as noted in the Joint Committee Report, the remaining allegations are denied.

23. That the contents of Para 3 (Table-1, S. No. 3) of the Joint Committee Report are denied to the extent that the grievance of the complainant alleges that the Environmental Impact Assessment (EIA) Report was not disclosed to the villagers. It is respectfully submitted that the Joint

Committee itself has recorded that the EIA Report prepared for the project by M/s Rian Enviro Private Limited, Patna is available on the PARIVESH portal of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), where it can be accessed and downloaded by any member of the public.

It is therefore submitted that the allegation regarding non-disclosure of the EIA Report is incorrect and contrary to the factual position recorded in the Joint Committee Report itself. Save and except what is admitted herein as a matter of record, the remaining allegations are denied.

24. That the contents of Para 3 (Table-1, S. No. 4) of the Joint Committee Report are denied to the extent that the grievance of the complainant alleges that the public hearing was not conducted as per the prescribed procedure or that it was conducted on 30.04.2024 by joining only some villagers. It is respectfully submitted that the Joint Committee itself has recorded that the advertisement for conducting the public hearing was duly published by the Uttarakhand Pollution Control Board in a local newspaper on 25.03.2021 and that the public hearing was conducted on 30.04.2021 in Village Bhakwad, Tehsil Mori, District Uttarkashi.

It is therefore evident that the allegation of the complainant regarding the date and procedure of the public hearing is incorrect and contrary to the official records verified by the Joint Committee. The public hearing was conducted by the competent authority in accordance with the applicable procedure as part of the process for grant of Environmental Clearance. Save and except what is admitted herein as a matter of record, the remaining allegations are denied.

25. That the contents of Para 3 (Table-1, S. No. 5 to 9) of the Joint Committee Report are denied to the extent that the grievances of the complainant allege that the mining lease area is situated amidst residential habitation, is adjacent to public passages, water sources, cremation ground or gochar land, or that the proposed mining activity would adversely impact the Tons River, nearby temples or cause air pollution. It is respectfully submitted that the Joint Committee itself has relied upon the report of the Revenue Department, which clearly records the factual position regarding the location and surrounding features of the project site.

The Joint Committee has noted that the main habitation of Village Bhakwad is located at a distance ranging approximately from

120 meters to 270 meters from the mining lease boundary and that the habitation of Runasun Tok is situated outside the boundary of the approved first five-year mining area at a distance of about 100 meters. It has further been recorded that the kutcha structures located within the lease area belong to persons who had provided their consent/NOC in the year 2007.

The report of the Revenue Department also records that no public road is affected by the mining lease area and that the cremation ground of Village Bhakwad is situated approximately 300 meters away from the project site. Similarly, the Pavasi Temple and Mahasu Temple (Hanol) are situated at distances of approximately 800 meters and 500 meters respectively from the mining lease area.

In view of the aforesaid factual findings recorded by the Joint Committee on the basis of the Revenue Department’s report, the allegations raised by the complainant are speculative and not supported by the official records. It is further submitted that the project has been granted Environmental Clearance and other statutory approvals by the competent authorities after due appraisal of the environmental and locational aspects of the project.

Without prejudice to the above, it is also reiterated that the Joint Committee itself has recorded that mining operations at the site have not yet commenced. Consequently, the apprehensions expressed by the complainant regarding environmental or ecological impacts are premature and hypothetical in nature. Save and except what is admitted herein as a matter of record, the remaining allegations are denied.

26. That the contents of Para 3 (Table-1, S. No. 10) of the Joint Committee Report are a matter of record to the extent that the Joint Committee has observed that demarcation pillars were not found at the site during the inspection. It is respectfully submitted that the Project Proponent had earlier carried out demarcation of the lease area; however, the said pillars were subsequently damaged/destroyed. The Project Proponent had informed the Joint Committee during the site visit that fresh demarcation of the lease area through installation of boundary pillars would be undertaken before commencement of mining operations.

It is further submitted that the Joint Committee itself has recorded that mining operations have not yet commenced at the site.

Respondent No. 5 reiterates its commitment to ensure proper demarcation of the lease area in coordination with the concerned authorities prior to commencement of any mining activity, in accordance with the applicable regulatory requirements. Save and except what is admitted herein as a matter of record, the remaining allegations are denied.

27. That the contents of Para 4 (Point I) of the Joint Committee Report are matters of record to the extent that the Joint Committee has correctly noted that the application for mining lease, issuance of the Letter of Intent, grant of prospecting licence and approval of the mining plan in favour of Respondent No. 5 were undertaken prior to the publication of the Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023 and were governed by the policy framework prevailing at the relevant time, namely the Uttarakhand Secondary Mineral Policy, 2015.

It is respectfully submitted that the aforesaid factual position is fully consistent with the proviso to Rule 3(1) of the Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023, which expressly provides that nothing contained in the said Rules shall affect mining operations undertaken in accordance with the terms and conditions of a mining

lease or Letter of Intent (LoI) granted prior to the commencement of the said Rules. In the present case, the Letter of Intent dated 26.02.2016 issued in favour of Respondent No. 5 constitutes the foundational approval for the grant of the mining lease and was issued much prior to the coming into force of the 2023 Rules.

Accordingly, the regulatory process relating to the project having commenced and progressed under the earlier policy regime remains protected under the aforesaid proviso and cannot be subjected to the limitations introduced by the Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023. Save and except what is admitted herein as a matter of record, the remaining contents, if any, are denied.

28. That the contents of Para 4 (Point II) of the Joint Committee Report are matters of record to the extent that the mining lease deed in favour of Respondent No. 5 was executed on 01.07.2023 by the Government of Uttarakhand in continuation of the Letter of Intent dated 26.02.2016 issued under the Uttarakhand Secondary Mineral Policy, 2015. It is respectfully submitted that the grant of the mining lease emanates from the approvals and policy framework prevailing at the relevant time and

was executed by the competent authority in accordance with the applicable statutory provisions.

Without prejudice to the above, Respondent No. 5 submits that it shall duly comply with all applicable statutory provisions and regulatory requirements governing mining operations at the stage of commencement and operation of the project, in accordance with the conditions of the mining lease, Environmental Clearance and other statutory permissions granted by the competent authorities. Save and except what is admitted herein as a matter of record, the remaining contents, if any, are denied.

29. That the contents of Para 4 (Point III) of the Joint Committee Report are matters of record to the extent that the Joint Committee has noted that the grievances raised by the complainant are primarily founded upon the provisions of the Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023 and that the factual position relating to the said grievances has been examined by the Joint Committee on the basis of inspection of the site and verification of records available with the Revenue Department, Mining Department and the Uttarakhand Pollution Control Board.

It is respectfully submitted that the said grievance proceeds on an incorrect understanding of the applicable statutory framework. In the present case, the Letter of Intent in favour of Respondent No. 5 was issued on 26.02.2016, much prior to the coming into force of the Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023. The case of Respondent No. 5 is therefore squarely governed by the proviso to Rule 3(1) of the said Rules, which expressly provides that nothing contained in the Rules shall affect mining operations undertaken in accordance with the terms and conditions of a mining lease or Letter of Intent (LoI) granted prior to the commencement of the Rules.

Consequently, the rights flowing from the Letter of Intent dated 26.02.2016 and the approvals granted pursuant thereto remain unaffected by the subsequent promulgation of the 2023 Rules. The mining lease executed in continuation of the said approval therefore continues to be governed by the terms and conditions originally sanctioned, including the lease period of 50 years. Save and except what is admitted herein as a matter of record, the remaining allegations are denied.

30. That the contents of Para 4 (Point IV) of the Joint Committee Report are noted. It is respectfully submitted that Respondent No. 5 had earlier undertaken demarcation of the lease area; however, certain demarcation pillars were subsequently damaged. Respondent No. 5 reiterates its willingness to undertake proper demarcation of the lease area through installation of boundary pillars in coordination with the concerned authorities, including the Revenue Department and Mining Department, prior to commencement of mining operations.

It is further submitted that the Joint Committee itself has recorded that mining operations have not yet commenced at the project site. Respondent No. 5 remains committed to complying with all applicable regulatory requirements before commencing any mining activity.

31. That the contents of Para 4 (Point V) of the Joint Committee Report are noted. It is respectfully submitted that the Project Proponent had already obtained consent from the concerned landowners in respect of the private land forming part of the lease area on duly executed stamp papers in the year 2007, which fact has also been recorded by the Joint

Committee on the basis of the documents placed before it. Hence, no fresh consent is required.

32. That the contents of Para 4 (Point VI) of the Joint Committee Report are noted. Respondent No. 5 respectfully submits that it is fully committed to complying with all conditions stipulated under the Environmental Clearance, the Mining Lease, and the statutory consents issued by the Uttarakhand Pollution Control Board, as well as all other applicable regulatory requirements, at the stage of commencement and operation of mining activities.

33. It is further submitted that the Joint Committee itself has recorded that mining operations have not yet commenced at the site. Respondent No. 5 reiterates that all applicable conditions and safeguards shall be duly complied with prior to and during the operation of the project in accordance with the applicable statutory framework.

34. That in view of the submissions made hereinabove and the findings recorded in the Joint Committee Report itself, it is respectfully submitted that the allegations raised in the Original Application are unfounded and based on apprehensions rather than any demonstrable environmental violation. The Joint Committee has clearly recorded that mining operations at the project site have not yet commenced and that

the statutory approvals relating to the project were granted by the competent authorities under the applicable policy framework.

35. Without prejudice to the submissions made on merits in the foregoing paragraphs, Respondent No. 5 reiterates that the present Original Application itself is not maintainable being barred by limitation under Section 14(3) of the National Green Tribunal Act, 2010. As demonstrated from the undisputed chronology of events and the records verified by the Joint Committee, the last statutory approval granted to Respondent No. 5 is the Consent to Operate dated 03.02.2024 issued by the Uttarakhand Pollution Control Board. The proceedings, which emanate from the letter dated 21.11.2024, have therefore been initiated well beyond the statutory period prescribed under the Act.

36. It is a settled position of law that where a special statute prescribes a specific limitation period together with a defined extent of condonable delay, the adjudicatory forum created under that statute cannot assume jurisdiction beyond such statutory limits. The present Original Application is therefore liable to be dismissed on the ground of limitation alone.

37. That further in view of the facts and circumstances stated hereinabove, it is respectfully submitted that Respondent No. 5 has acted strictly in accordance with the applicable statutory framework and has obtained all requisite approvals and clearances from the competent authorities. The Joint Committee, after inspection of the site and verification of records, has also not recorded any finding of environmental illegality against Respondent No. 5. In these circumstances, the allegations raised in the present Original Application are misconceived, unsupported by factual record, devoid of merit, and based merely on apprehensions. The present proceedings therefore deserve to be dismissed.

Respondent No. 05

Through

Nandita Bansal

Advocate

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
SITTING AT NEW DELHI
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 01 OF 2025

IN THE MATTER OF:
KAVITA .....**APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & OTHERS .....**RESPONDENTS**

AFFIDAVIT

I, Ratan Singh Aswal, aged about 58 years, R/o B4-502, Pacific Golf Estate, Shashtra Dhara Road, Uttarakhand, Dehradun – 248001 do hereby and solemnly affirm and declare as under:

1. That the deponent is Respondent No 05 in the accompanying Original Application and as such is competent to swear this affidavit.

2. That I have done whatsoever inquiry/investigation which was in my power to do, to collect all data/material which was available and which was relevant for this court to entertain the present petition.

3. That deponent has not concealed in the accompanying affidavit any data/material/information which may have enabled this court to form an opinion whether to entertain this petition or not and/or whether to grant any relief or not.

4. That the contents of the accompanying affidavit have been drafted on my instructions and nothing material has been concealed therefrom and the information provided is true and correct to the best of my knowledge and belief.

DEPONENT

VERIFICATION:
Verified on this 14 day of March, 2026 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and nothing material concealed therein.

Sl.No. 25/26 Ratan Singh Aswal

Certified that Shri/Smt...
The deponent is identified by.....................
Sworn & Verified the contents of this affidavit
at............................on ....

DEPONENT

NOTARY
Sita Ram Naudiyal
Advocate Notary
Dehradun
Reg.No.25(01)-2003
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

Sita Ram Naudiyal
Notary, Dehradun
14/3/26

ANNEXURE A1/1

क्रम संख्या–61 (क) पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, शुक्रवार, 16 जून, 2023 ई0
ज्येष्ठ 26, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1

संख्या 977/VII-A-1/2023–24 ख/2007
देहरादून, 16 जून, 2023

अधिसूचना

सा0प0नि0–16

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 67, वर्ष 1957) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों एवं आदेशों को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2023 को निम्नवत प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2023

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त, शीर्षक्रम, प्रसार, प्रारम्भ और प्रवृत्ति:–

(1) यह नियमावली उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 (Uttarakhand Minor Minerals (Concession) Rules, 2023 कहलायेगी।

(2) इनका प्रसार समस्त उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रचलित होगी।

(4) यह राज्य में उपलब्ध समस्त उपखनिजों पर प्रवृत्त होगी।

(5) यह नियमावली राज्य सरकार द्वारा सरकारी विभागों, सरकारी निगमों या कानूनी निगमों से खनन कार्य को कराने के अधिकार को प्रभावित नही करेगी।

2. परिभाषायें :–जब तक की प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य माइन्स एण्ड मिनरल्स (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगूलेशन) एक्ट, 1957 (एक्ट संख्या 67 आफ 1957) समय–समय पर यथा संशोधित से है।

(क) "समिति" का तात्पर्य जिस क्षेत्र में खनिज क्षेत्र स्थित है, उस जनपद के उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खनिज क्षेत्रों के चिन्हीकरण/निरीक्षण हेतु गठित समिति से है।

(ख) "जिला खनन समिति" का तात्पर्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी, जिला खान अधिकारी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग सदस्य होंगे, से अभिप्रेत है।

(ग) 'महानिदेशक" का तात्पर्य महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड से है।

(घ) "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड से है।

(2) "जिलाधिकारी" से तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर से है, जिसमें भूमि स्थित हैं।

(क) "जिला खान अधिकारी' से तात्पर्य उस जिले के खान अधिकारी से है, जिसमें भूमि स्थित है।

(3) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के तृतीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र से है।

(क) "स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप" का तात्पर्य चट्टानों के रूप मे पाये जाने वाले खनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिज से है, जो अपनी उत्पत्ति के स्थान से विस्थापित न हुआ हो।

(4) "खनन और स्वामी" के वही अर्थ होंगे, जो माइन्स एक्ट 1952 (एक्ट सं0 35, 1952) में दिये गये हैं।

(5) "खनन संक्रियाओं" का तात्पर्य किसी उप खनिज को लब्ध करने के प्रयोजन के लिये की गई संक्रियाओं (operation) से है।

(6) "खनन पट्टा" का तात्पर्य उस खनन पट्टे (Mining Lease) से है, जो इन नियमों के अधीन एक नियत अवधि हेतु उप–खनिजों के विदोहन हेतु पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियां प्राप्ति के उपरान्त शासन अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया हो।

(7) "खनन अनुज्ञा–पत्र" का तात्पर्य उस अनुज्ञा–पत्र (परमिट) से है, जो इन नियमों के अधीन अनुज्ञा–पत्र में नियत अवधि के भीतर उप–खनिजों की निर्दिष्ट मात्रा को निकालने के लिये दिया गया हो।

(8) "उप–खनिज" का तात्पर्य इमारती पत्थर (Buliding stone), बालू (Sand), बजरी (gravel), बोल्डर (Boulder), आर0बी0एम0 (बालू, बजरी, बोल्डर मिश्रित अवस्था में), मामूली मृदा (clay) नियत प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू (Sand) से भिन्न मामूली बालू, खनिज सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, स्लेट अथवा किसी ऐसे खनिज से है, जिसे केन्द्र सरकार ने समय–समय पर घोषित किया है या जिसके उप–खनिज होने के बारे में माइन्स एण्ड मिनरल्स (रेगूलेशन एण्ड डेवलपमेन्ट) एक्ट, 1957 (1957 की एक्ट संख्या 67) की धारा–3 के खण्ड (ड़) के अधीन सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे।

(क) "खनिमुख मूल्य" का तात्पर्य खनिमुख पर मूल्य या उत्पादन के बिन्दु पर उपखनिज के विक्रय–मूल्य से है।

(9) "रेलवे" और "रेलवे के प्रशासन" के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उनके लिये इण्डियन रेलवेज एक्ट, 1890 (एक्ट संख्या 9, 1890) में दिये गये हैं।

(10) "River Bed Material (आर०बी०एम०)" नदी/नाला/गधेरा में अवस्थित या लगी हुई भूमि में उपलब्ध रेता, बजरी, बोल्डर, मिश्रित अवस्था में या पृथक-पृथक अवस्था में उपलब्ध हो, से तात्पर्य है।

(11) "नदी तल उपखनिज क्षेत्रों हेतु खनन सत्र" का तात्पर्य वर्षाकाल के उपरान्त 01 अक्टूबर से 30 जून तक की अवधि से है।

(12) "स्वस्थानें (In-Situ) चट्टानों एवं नदी तल से भिन्न उपखनिज क्षेत्रों हेतु खनन सत्र" का तात्पर्य 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि से है।

(13) पर्वतीय क्षेत्र:– पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग छोड़कर), अल्मोड़ा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग छोड़कर), नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) सम्मिलित है।

(14) मैदानी क्षेत्र:– मैदानी क्षेत्र के अन्तर्गत जिला टिहरी गढ़वाल (नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर के सम्पूर्ण भाग सम्मलित है।

(15) "चुगान" का तात्पर्य नदी के जल प्रवाह को नदी के मध्य में केन्द्रित करने हेतु नदी द्वारा निक्षेपित/जमा उपखनिज बालू, बजरी व बोल्डर का मानव शक्ति से निकासी से है।

(16) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है।

(17) "राज्य और "राज्य सरकार" का तात्पर्य क्रमशः उत्तराखण्ड राज्य और उत्तराखण्ड सरकार से है।

(18) "परिवार" का तात्पर्य माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, भाई, अविवाहित पुत्री व अविवाहित बहन से है।

(19) "शब्द" और "पद" जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिए उक्त अधिनियम में दिये गये हैं।

3\. खनन संक्रियायें, खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा-पत्र के अधीन होंगी–

(1) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में ऐसे उप-खनिज की, जिस पर यह नियमावली प्रयोज्य हो, इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र की शर्तो और प्रतिबन्धों के अधीन और उनके अनुसार के अतिरिक्त कोई खनन संक्रियायें न कर सकेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी बात का प्रभाव इस नियमावली में प्रारम्भ होने से पूर्व यथाविधि दिये गये खनन पट्टा या अनुज्ञा-पत्र की शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अनुरूप की गई खनन संक्रियाओं पर न पड़ेगा।

(2) कोई खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा-पत्र इस नियमावली के उपबन्धों से भिन्न प्रकार न दिया जायेगा।

अध्याय–2

उपखनिज क्षेत्रों को खनन पट्टे पर दिया जाना

4. खनन पट्टे के दिये जाने पर निर्बन्धनः–

खनन पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति को न दिया जायेगा, जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।

स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रिक समझा जायेगाः–

(I) कम्पनीज एक्ट, 1956 में यथा परिभाषित "public company" (सार्वजनिक कम्पनी) की दशा में, केवल उस स्थिति में जब कम्पनी के अधिकांश निदेशक भारत के नागरिक हों और उसी अंशपूजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत ऐसे व्यक्ति धारण करते हों, जो या भारत के नागरिक हो या कम्पनीज एक्ट 1956 में यथा परिभाषित "companies" (कम्पनियां) हों।

(II) कम्पनीज एक्ट 1956 में यथा परिभाषित "Private company" (निजी कम्पनी) की दशा में केवल उस स्थिति में जब कम्पनी के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों।

(III) फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ (Other association or individulas) की दशा में केवल उस स्थिति में जब फर्म के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों, और

(IV) किसी व्यक्ति विशेष की दशा में, केवल उस स्थिति में जब वह भारत का नागरिक हो।

5. खनन पट्टा दिए जाने या उसके नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्रः–

(1) खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम0एम0–1 में या उसके नवीनीकरण के लिये प्रपत्र एम0एम0–1 (क) में जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट प्रार्थना पत्र जिला खान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी को छः प्रतियों में दिया जायेगा। ऐसा अधिकारी सभी छः प्रतियों में, प्रार्थना पत्र की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति का स्थान, समय और दिनांक लिखकर पृष्ठांकित करेगा। उसकी एक प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने वाले व्यक्ति को तुरन्त लौटा दी जायेगी तथा एक प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित की जायेगी।

(3) खनन पट्टा हेतु आवेदनकर्ता की मृत्यु होने पर आवेदनकर्ता की विधिक वारिस द्वारा प्रस्तुत किया गया माना जायेगा, इस हेतु विधिक वारिस द्वारा सक्षम स्तर से निर्गत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र तथा उक्त आवेदन हेतु इच्छुक होने का नोटराईज्ड अनुरोध शपथ पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी कार्यालय में 03 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में मूल आवेदन पत्र स्वतः निरस्त मानते हुए आवेदित क्षेत्र रिक्त माना जायेगा।

(4) उप नियम (1) में अभिदिष्ट प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम0एम0–2 में खनन पट्टों के लिये प्रार्थना पत्रों के रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

6– खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना–पत्र शुल्क और जमा अभिलेखः–

(1) खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित होगाः–

(क) नदी तल में अवस्थित निजी/राजस्व/वन भूमि उपखनिज क्षेत्रों के लिये आवेदन शुल्क रू0 1.00 लाख एवं नदीतल से भिन्न निजी नाप भूमि के स्वस्थानें प्रकृति के उपखनिजों हेतु आवेदन शुल्क 05 है0 क्षेत्रफल तक हेतु रू0 2.00 लाख तथा 5.00 है0 से अधिक क्षेत्रफल हेतु रू0 5.00 लाख देय होगा, जो निर्धारित लेखा शीर्षक मे जमा किया जायेगा।

(ख) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि से खनन किये जाने के लिए आवेदित क्षेत्रफल 4.0 है0 से न्यून नहीं होगा, जो एक संहत खण्ड में होगा।

परन्तु स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के ऐसे उपखनिज जो निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होंगे यथा स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर आदि हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 1.0 एकड़ होगा।

(ग) राजस्व खसरा मानचित्र, जिसमें आवेदित क्षेत्र को लाल रंग से दर्शाया गया हो तथा राजस्व विभाग से सत्यापित हो, की प्रतियां एवं गूगल मानचित्र, जिसमें आवेदित क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया हो, की स्वप्रमाणित प्रति।

(2) खसरा खतौनी की राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित प्रति।

(3) खनन अदेयता प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, की प्रति।

(4) आयकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति।

(5) चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।

(6) मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति।

(7) जी0एस0टी0 की प्रति।

(8) निजी नाप भूमि के उपखनिज के सम्बन्ध में सम्बन्धित भूस्वामियों की नोटराईज्ड अनापत्ति।

(9) निजी नाप भूमि होने पर भूमि बन्धक न होने का प्रमाण पत्र की प्रति।

(10) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टों के सम्बन्ध में निजी नाप भूमि में आवेदित कुल क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत क्षेत्रफल हेतु भूस्वामियों की नोटराईज्ड सहमति।

(11) यदि प्रार्थना पत्र किसी प्रकार से पूरा नही है या उसके साथ उपनियम (1) मे उल्लिखित शुल्क जमा या अभिलेख नहीं हैं, तो जिला खान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नोटिस द्वारा प्रार्थी से, ऐसे समय के भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रार्थना पत्र के सभी प्रकार से पूरा करने या शुल्क जमा करने या अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा करेगा और वह दिनांक जब प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से पूरा हो, प्रार्थना पत्र की प्राप्ति का दिनांक समझा जायेगा।

(12) आवेदक व आवेदक के परिवार के विरूद्ध खनन सम्बन्धी देयता होने पर खनन पट्टा हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा।

6–खनन पट्टे का नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र शुल्क आदिः–

(क) खनन पटटा के नवीनीकरण के लिये–प्रार्थना पत्र, पट्टे की अवधि की समाप्ति के दिनांक से कम से कम छः माह पूर्व पट्टे द्वारा धृत क्षेत्र के मानचित्र, जिसमें वह क्षेत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, जिसके नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो, की छः प्रतियों सहित दिया जा सकेगा और नियम 6 के उपनियम(1) खण्ड (क) आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(ख) राज्य सरकार उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात खनन पट्टा के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र में हुए विलम्ब की क्षमा कर सकेगी।

7– जांच और प्रतिवेदन:–

(1) खनन पट्टे हेतु आवेदित क्षेत्र के स्थलीय जांच, अभिलेखों की जांच, खनिजों के प्रकार एवं मात्रा का आंकलन, सीमांकन आदि हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जायेगा:–

1.	उप जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष।
2.	सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग (केवल नदी तल खनन क्षेत्रों हेतु)	–	सदस्य।
3.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य।
4.	जिला खान अधिकारी	–	सदस्य सचिव।

परन्तु, उक्तानुसार गठित समिति में उप जिलाधिकारी की उपलब्धता न होने की स्थिति में नियमावली के नियम–66 के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार उक्त समिति की अध्यक्षता करेंगे।

(2) जिला खान अधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर 01 माह के भीतर गठित समिति से स्थलीय जांच/निरीक्षणोपरान्त निर्धारित प्रपत्र में संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी, तदोपरान्त जिलाधिकारी के द्वारा संस्तुति सहित प्रस्ताव महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को समस्त संलग्नकों सहित प्रेषित किया जायेगा।

8– खनन पट्टे की स्वीकृति:–

(क) शासन द्वारा इस नियमावली के उपबंधो के अधीन रहते हुये नदी तल/नदी तल से लगी भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर (आर०बी०एम०) एवं स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टे स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी से प्राप्त आख्या एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर उपलब्ध खनन पट्टे के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है अथवा आवेदित क्षेत्र के पूरे या उसके किसी भाग के लिये, उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर (आर०बी०एम०) के खनन पट्टे की दशा में 06 माह की अवधि के लिए एवं स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टे की दशा में 01 वर्ष की अवधि के लिये, जैसा उचित हो, खनन पट्टा हेतु खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियों की प्राप्ति हेतु जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत/स्वीकृत किया जायेगा।

(ख) खनन पट्टे हेतु निर्गत आशय पत्र में उल्लिखित समस्त शर्तो यथा खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियां प्राप्त हो जाने के उपरान्त महानिदेशक की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेगा।

9– कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार:–

1. जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने एक ही भूमि के सम्बन्ध में खनन पट्टे के लिए आवेदन किया हो, वहां उस प्रार्थी को जिसका प्रार्थना पत्र अपेक्षाकृत पहले प्राप्त हुआ हो, उस आवेदक से, जिसका प्रार्थना पत्र बाद में प्राप्त हुआ है, ऊपर पट्टा दिये जाने का अधिमानी अधिकार होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे प्रार्थना पत्र एक ही दिन प्राप्त हुये हों, वहां राज्य सरकार उपनियम-(2) में विनिर्दिष्ट बातों पर विचार करने के पश्चात खनन पट्टा प्रार्थियों में से किसी एक ऐसे प्रार्थी को दे सकती है, जो वह उचित समझे।

2. उपनियम (1) में अभिदिष्ट बातेः-

(क) भू-स्वामी या भू-स्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक को छोडकर अन्य आवेदक हेतु खनन संक्रियाओं में विशिष्ट ज्ञान अथवा अनुभव।

(ख) भू-स्वामी या भू-स्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक को छोडकर अन्य आवेदन हेतु वित्तीय संशोधन उस खनन पट्टा क्षेत्र पर निर्धारित अपरिहार्य भाटक के दोगुना से कम नहीं होना चाहिए।

(ग) प्रार्थी द्वारा सेवायोजित या सेवायोजित किये जाने वाले प्राविधिक कर्मचारी वर्ग (स्टाफ) की प्रकृति और गुणवत्ता।

(घ) किसी पूर्व पट्टे या अनुज्ञा पत्र के आधार पर खनन संक्रियाओं को कार्यान्वित करने में और ऐसे पट्टे या अनुज्ञा पत्र की शर्तों या उसके सम्बन्ध में किसी विधि के उपबंधों का पालन करने में प्रार्थी का आचरण, और

(ङ) खनिज आधारित उद्योग स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामियों को खनन पट्टा स्वीकृति में प्राथमिकता दी जायेगी, और

(च) नियमावली के नियम-69 के अन्तर्गत चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल उपलब्धता वाले रिक्त उपखनिज क्षेत्रों मे खनन पट्टा, नियमावली के अध्याय-2 के अनुसार दिये जाने मे प्राथमिकता दी जायेगी।

(छ) ऐसी अन्य बातें, जो राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जाय।

3. उपनियम (2) में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रखते हुये सरकार किन्ही विशेष कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी ऐसे प्रार्थी को, जिसका प्रार्थना पत्र पहले प्राप्त हुआ हो, अधिमान में, किसी ऐसे प्रार्थी को, जिसका प्रार्थना पत्र बाद में प्राप्त हुआ हो, पट्टा दे सकती है।

10- खनन पट्टे की अवधि :-

(1) नदी तल अवस्थित राजस्व/वन भूमि के खनन क्षेत्रों में 05 है० क्षेत्रफल तक 05 वर्ष की अवधि हेतु, 05 है० से अधिक क्षेत्रफल में 10 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टे स्वीकृत किये जायेंगे, जिसमें वर्षा ऋतु के तीन माह (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) सम्मिलित होंगे, परन्तु उक्त अवधि में खनन/चुगान कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

(2) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टे अधिकतम 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे।

(3) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के ऐसे उपखनिज, जो निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होंगे यथा स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर के 5.00 है० क्षेत्रफल तक के खनन पट्टे अधिकतम 10 वर्ष तक तथा 5.00 है० से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे अधिकतम 15 वर्ष तक की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे, परन्तु यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो

वह ऐसे स्वस्थानें (In-situ) उपखनिजों के सम्बन्ध में उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, 20 (बीस) वर्ष से अधिक किन्तु 25 (पच्चीस) वर्ष से अधिक न हो, की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत करने की अनुमति दे सकती है।

11– पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण/सीमांकन :–

(1) जब खनन पट्टा दिया जाय तो निदेशक द्वारा पट्टे पर दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन का प्रबन्ध किया जायेगा, जिसके लिये पट्टेदार से निम्नलिखित दर से प्रभार लिया जायेगा:–

राज्य के समस्त खनन पट्टा क्षेत्र में:–

(1) 05 है0 क्षेत्र तक के लिये रू0 5000.00

(2) 05 है0 क्षेत्र से अधिक क्षेत्र के लिए प्रति है0 तक रू0 1000.00 की दर से अतिरिक्त।

(2) पट्टेदार, उसे पट्टा दिये जाने के पश्चात ट्रेजरी चालान या ई–चालान पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से सीमांकन प्रभार देगा और पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित एक मानचित्र सम्बन्धित जिला खान अधिकारी को या प्राधिकृत अधिकारी को, जिसे महानिदेशक/निदेशक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, प्रस्तुत करेगा। जिला खान अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी प्रमाणित मानचित्र प्राप्त होने और सन्तुष्ट होने पर कि सीमांकन प्रभार जमा कर दिया गया है, ऐसी प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन कर देगा।

(3) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी, क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन के प्रयोजनार्थ जिले के राजस्व और वन विभाग के ऐसे अधिकारी की सहायता ले सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे।

(4) यदि क्षेत्र के सीमांकन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मामला निदेशक को अभिदिष्ट कर दिया जायेगा, जो पक्षकारों की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात मामले का विनिश्चय करेगा।

(5) उपनियम (4) के अधीन निदेशक का विनिश्चय अन्तिम होगा।

12– प्रतिभूति जमा :–

(1) नियम 13 में अभिदिष्ट विलेख के निष्पादन के पूर्व खनन पट्टे का प्रार्थी पट्टे के निबन्धनों और शर्तों के उचित पालन के लिये उपखनिज रेता, बजरी, बोल्डर आदि पट्टाकृत क्षेत्र की वार्षिक पट्टा धनराशि के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के रूप मे एफ0डी0आर0 जमा करेगा, जोकि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पक्ष में बंधक होगी।

(2) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के पट्टाकृत क्षेत्र के लिए 05 है0 तक क्षेत्रफल के लिये रू0 25,000/– तथा 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के लिये रू0 50,000/– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पक्ष में एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक की जानी होगी।

13– पट्टा विलेख का निष्पादन :–

(1) राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति संबंधी आदेश जारी होने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा विलेख निष्पादन से पूर्व वार्षिक पट्टा धनराशि का पच्चीस प्रतिशत प्रतिभूति धनराशि एफ0डी0आर0, जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पक्ष में बन्धक हो, जमा किया जायेगा तथा तदोपरान्त जिला उपनिबन्धक द्वारा सूचित स्टाम्प शुल्क के आधार पर पट्टाविलेख निर्धारित प्रारूप प्रपत्र एम0एम0–3 में तैयार कराकर पट्टा विलेख (नदी तल क्षेत्र हेतु) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा स्वीकृति के 01 माह के भीतर निष्पादित किया जायेगा एवं नदी तल से भिन्न क्षेत्र हेतु महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा स्वीकृति के 01 माह के भीतर निष्पादित किया जायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण सम्बन्धित जनपद के जिला उपनिबन्धक अधिकारी से कराया जायेगा। पट्टाविलेख के पंजीकरण के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उसकी एक–एक प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय संबंधित जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी कार्यालय को एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट खनन पट्टे के प्रारम्भ होने का दिनांक उक्त उप नियम के अधीन विलेख निष्पादित किये जाने के उपरान्त उपनिबन्धक द्वारा पंजीकरण किये जाने का दिनांक होगा।

(3) पट्टा विलेख में निर्धारित वार्षिक पट्टा धनराशि का भुगतान पट्टेदार के द्वारा 09 समान मासिक किश्तों (माह जुलाई से माह सितम्बर तक की अवधि को छोड़कर) में निर्धारित तिथि से पूर्व किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक आगामी माह की किस्त अग्रिम रूप से जमा की जायेगी।

(4) राजस्व व वन भूमि क्षेत्रों में निगमों के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा/नवीनीकरण के उपरान्त एक माह के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के साथ हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य होगा तथा एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही उपखनिज का चुगान/खनन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

14–पट्टे का समर्पण :–

कोई भी पट्टेदार राज्य सरकार को खनन पट्टा समर्पण करने हेतु सम्बन्धित जिला खान अधिकारी कार्यालय में लिखित प्रार्थना पत्र देने की दिनांक से अग्रिम तीन माह की पट्टा धनराशि जमा करने के उपरान्त जिलाधिकारी एवं निदेशक/महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा खनन पट्टा समर्पण स्वीकार किया जायेगा।

15–पट्टे का संक्रमण (Transfer):–

(1) पट्टेदार :–

(क) पट्टेदार किसी खनन पट्टे को उसमें किसी अधिकार, स्वत्व या हित को न तो अभ्यर्पित करेगा, न शिकमी पर देगा, न बंधक रखेगा, न किसी अन्य रीति से उसका संक्रमण (Transfer) करेगा।

(ख) न तो कोई प्रबंध, संविदा या समझौता करेगा, जिसके द्वारा पट्टेदार पर्याप्त मात्रा में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा वित पोषित किया जा

सकता है या जिससे खनन संक्रियायें किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से नियंत्रित की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि पट्टेदार राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन, जैसा राज्य सरकार द्वारा आरोपित की जाए, खनन पट्टे या उसमें किसी अधिकार, स्वत्व या हित को राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी वित्त निगम अथवा भारतीय बैंक अधिनियम, 1934 की धारा (2) के खण्ड (क) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों या अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की प्रथम अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट किसी बैंक को बंधक कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को बिना भूस्वामी की सहमति के, परन्तु यह कि सम्बन्धित भूस्वामी की भूमि में खनन कार्य करने से पूर्व सहमति लिया जाना आवश्यक होगा, अभ्यर्पित या संक्रमण (Transfer) कर सकता है या फर्म के पार्टनर को जोड़ा या घटाया जा सकता है, जिसके लिए निम्नानुसार शुल्क देय होगा:–

1. खनन पट्टा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के नाम संक्रमण (Transfer) हेतु शुल्क – रू० 2.00 लाख 05 है० तक तथा 05 है० से अधिक हेतु रू० 5.00 लाख।
2. फर्म के मामलें में भागीदार का नाम जोड़ने एवं घटाने हेतु शुल्क – रू० 2.00 लाख।

(2) यदि राज्य सरकार की राय में पट्टेदार ने खनन पट्टे या उसमे किसी अधिकार स्वत्व या हित को अभ्यर्पण, शिकमी, बंधक द्वारा या किसी अन्य रीति से किसी को संक्रमित कर दिया है या फर्म के मामले में भागीदार का नाम जोड एवं घटा दिया गया है या राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई प्रतिबन्ध, संविदा या समझौता करा लिया है या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट किसी शर्त या निबन्धन का उल्लघंन किया है तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय ऐसे पट्टे को समाप्त कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई आदेश, पट्टेदार को अपना मामला बताने के लिये युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

(3) निजी नाप भूमि के पट्टाधारक की मृत्यु होने पर बिना भू–स्वामियों की सहमति के तथा निजी नाप से भिन्न भूमि के खनन पट्टाधारक की मृत्यु होने पर पट्टे की अवशेष अवधि तक पट्टाधारक के विधिक वारिस को पट्टा हस्तान्तरण जिलाधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अनुपूरक पट्टा विलेख के माध्यम से किया जायेगा।

16– निगमों/अन्य ठेकेदार/निविदाकार द्वारा खनन/चुगान कार्य:–

1. नदीतल में अवस्थित वन भूमि उपखनिज क्षेत्रों का आवंटन उत्तराखण्ड वन विकास निगम, राजस्व क्षेत्र में अवस्थित खनन लॉटों को गढवाल मण्डल क्षेत्रान्तर्गत गढवाल मण्डल विकास निगम लि० एंव कुमाऊं मण्डल क्षेत्रान्तर्गत कुमाऊं मण्डल विकास निगम लि० के पक्ष में उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर नियमानुसार आवेदन किये जाने पर नियमावली के अध्याय–2 के प्राविधानानुसार स्वीकृत किया जायेगा। निगमों के पक्ष में स्वीकृत खनन लॉटों में खनन/चुगान कार्य निगमों के द्वारा स्वयं किया जायेगा। यदि निगमों के द्वारा स्वयं चुगान/खनन कार्य नही किया जाता है, तो निगमों द्वारा चुगान का कार्य ई–नीलामी द्वारा चयनित व्यक्ति/समिति/फर्म/कम्पनी के माध्यम से कराया जायेगा।

परन्तु यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता हो कि निगमों के द्वारा किये जा रहे खनन/चुगान कार्य से राजस्व क्षति हो रही है तो ऐसी दशा में राज्य सरकार निगमों को आवंटित समस्त अथवा किसी खनन पट्टे को वापस लेकर नियम-69 के अन्तर्गत सफल निविदाकार/ठेकेदार को नियमावली के अध्याय-2 के अनुसार आवंटित किया जा सकता है।

2. राज्य सरकार किसी भी मामले में यदि उसकी राय हो, तो विकास एवं राष्ट्रहित में लिखित आज्ञा द्वारा निगमों के पक्ष में स्वीकृत खनन लॉटों के किसी भाग/गेट से उपखनिजों की आपूर्ति राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं यथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रेल विकास निगम लि० (आर०वी०एन०एल०), डी०जी०बी०आर०(ग्रेफ), बी०आर०ओ०, एन०टी०पी०सी०, यू०जे०वी०एन०एल०, एन०एच०पी०सी० आदि को किये जाने हेतु निर्देश दिये जाने पर निगमों के द्वारा उक्तानुसार सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को उपखनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

17- रजिस्टर :- जिला खान अधिकारी के कार्यालय में निम्नलिखित रजिस्टर रखे जायेंगे:-

(क) प्रपत्र एम०एम० 2 में खनन पट्टो के लिये प्रार्थना-पत्रों का रजिस्टर, और

(ख) प्रपत्र एम०एम० 4 में खनन पट्टो का रजिस्टर।

अध्याय -3

स्वामित्व (रायल्टी) और अपरिहार्य भाटक का भुगतान

18- स्वामित्व :-

(1) इस नियमावली के लागू होने के दिनांक को या उसके पश्चात दिये गये खनन पट्टे का धारक, किसी ऐसे खनिज़ के सम्बन्ध में जिसे उक्त पट्टे पर दिये गये क्षेत्र हेतु उपखनिज की मात्रा निर्धारित की गयी हो, इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दरों पर उक्त निर्धारित मात्रा के सापेक्ष अग्रिम रूप से स्वामित्व का भुगतान करेगा, परन्तु स्वस्थाने चट्टानों से सम्बन्धित उपखनिजों के खनन पट्टे का धारक किसी ऐसे प्रत्येक खनिज के सम्बन्ध में जिसे उसने पट्टे पर दिये गये क्षेत्र से निकाला हो, इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दरों पर अग्रिम रूप से स्वामित्व का भुगतान करेगा।

(2) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी खनिज के स्वामित्व (royalty) की दर को ऐसे दिनांक से जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाये, शामिल करने से बहिष्कृत करने अथवा बढ़ाने या घटाने के लिये प्रथम अनुसूची को संशोधित कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी खनिज के सम्बन्ध में स्वामित्व की दर को तीन वर्ष की किसी अवधि में एक बार से अधिक नही बढ़ायेगी और स्वामित्व की दर को खनिमुख मूल्य (Pits mouth value) के 20 प्रतिशत से अधिक पर निश्चित नही करेगा।

(3) यदि खनिज के खनिमुख मूल्य पर स्वामित्व लिया जाने वाला हो तो राज्य सरकार ऐसे मूल्य का निर्धारण पट्टा देते समय कर सकती है और स्वामित्व की दर पट्टा विलेख में उल्लिखित की

जायेगी। राज्य–सरकार वर्ष में अधिक से अधिक एक बार खनिमुख मूल्य का पुनः निर्धारण कर सकेगी, यदि वह इसको बढ़ाया जाना आवश्यक समझे।

19– अपरिहार्य भाटक–

खनन पट्टे का धारक पट्टे की अवधि जिसमें अपरिहार्य कारणवश (मा0 न्यायालयों/एन0जी0टी0 के आदेशों, केन्द्र/राज्य सरकार के शासनादेशों, महानिदेशक/निदेशक के आदेशों/जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में) खनन/चुगान में असमर्थ रहता है, जिसमें पट्टाधारक की कोई गलती न हो, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी के द्वारा किये जाने पर उक्त बाधित अवधि के समतुल्य अवधि पट्टाधारक को प्रदान की जा सकेगी, जिस पर रायल्टी की देयता तत्समय निर्धारित दर के अनुसार लागू होगी परन्तु यदि पट्टाधारक उक्तानुसार प्रदत्त अवधि लेने से इन्कार करता है तो पट्टाधारक बाधित अवधि हेतु आंगणित अपरिहार्य भाटक के रूप में, ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जैसी इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राज्य सरकार द्वारा पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट की जायें। अपरिहार्य भाटक का आंगणन सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

परन्तु स्वस्थानिक चट्टानों से सम्बन्धित उपखनिजों के सम्बन्ध में पट्टेदार अपरिहार्य भाटक या पट्टा धनराशि दोनों में से जो भी अधिक हो का देनदार होगा, किन्तु दोनों का नहीं। यदि पट्टा क्षेत्र में एक से अधिक खनिज निकालने की अनुमति है तो ऐसे प्रत्येक खनिज के लिए उक्त अपरिहार्य भाटक का भुगतान पृथक–पृथक रूप से किया जायेगा।

अध्याय –4
नीलामी–पट्टा

20–ई–नीलामी में पट्टे के लिये क्षेत्र की घोषणा :–

(1) महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे नदी तल राजस्व/वन क्षेत्रों में अवस्थित उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर, आर0बी0एम0 एवं नदीतल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में अवस्थित स्वस्थाने (In-Situ) चट्टान किस्म के उपखनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिज की, जिसे या जिन्हें नीलाम करके निविदा द्वारा या नीलामी या ई–निविदा/ई–निलामी पट्टे पर दिया जा सकेगा, घोषणा कर सकेगी।

(क) नदी तल एवं नदी तल से भिन्न निजी नाप भूमि में उपलब्ध उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर, आर0बी0एम0 एवं स्वस्थाने चट्टान किस्म के उपखनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिजों के खनन/चुगान के पट्टो का आवंटन नियमावली के अध्याय–2 के नियमानुसार किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये, किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों को एक बार में ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा नदी तल अवस्थित 05 है0 क्षेत्रफल तक के उपखनिजों के चुगान/खनन पट्टा 05 वर्ष की अवधि एवं 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे 10 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। स्वस्थानें प्रकृति के उपखनिज के खनन पट्टे

अधिकतम 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना पट्टाविलेख निष्पादन के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी। नदीतल स्थित राजस्व भूमि/वन भूमि एवं नदीतल से भिन्न राजस्व/वन भूमि के 5.0 है0 तक के खनन पट्टे राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों एवं 5.0 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे भारत के नागरिक/नागरिकों की समितियों/फर्म/ कम्पनियों को स्वीकृत किये जायेंगे।

(3) उप नियम (1) के अधीन किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की घोषणा किये जाने पर, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, जिसके या जिनके सम्बन्ध में घोषणा जारी कर दी गयी हो, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पट्टे पर दिया जा सकेगा।

(4) उप नियम (1) के अधीन नदी तल राजस्व/वन भूमि खनन क्षेत्र या क्षेत्रों को घोषित किये जाने से पूर्व उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति यथा राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग (केवल नदी तल क्षेत्रों हेतु), वन विभाग, खनन विभाग या अन्य कोई विभाग आवश्यक हो, के द्वारा उपखनिज क्षेत्रों का चिन्हीकरण, सीमांकन जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स सहित, निक्षेपित उपखनिज की मात्रा, गुणवत्ता एवं पहुंच मार्ग की उपलब्धता आदि का निर्धारण कर आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी एवं जिलाधिकारी के द्वारा उक्तानुसार गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को ई–नीलामी से आवंटन की अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

परन्तु राजस्व/वन भूमि में अवस्थित स्वस्थाने चट्टान किस्म के उपखनिज सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिज क्षेत्रो का चिन्हीकरण संयुक्त निदेशक, भूविज्ञान के पर्यवेक्षण में विभागीय गठित भूवैज्ञानिक दल के द्वारा या बाह्य स्रोत से किया जायेगा। उक्त चिन्हित क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन हेतु उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा नामित भूवैज्ञानिक/सहायक, भूवैज्ञानिक सदस्य होंगे। उक्त समिति चिन्हित खनिज क्षेत्रों की स्थलीय निरीक्षण आख्या मय खसरा खतौनी, मानचित्र आदि अभिलेखो सहित सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को ई–नीलामी से आवंटन की अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

21–ई–नीलामी में से क्षेत्र का वापिस लिया जाना :–

राज्य सरकार घोषणा द्वारा नियम 20 के उप नियम (1) के अधीन घोषित किसी क्षेत्र या क्षेत्रों या उसके किसी भाग को निर्दिष्ट पट्टे पर देने की किसी प्रथा से वापस ले सकेगी और घोषणा में विनिर्दिष्ट वापसी दिनांक से, जो इस अध्याय के अधीन दिये गये पट्टे की साधारण अवधि के दौरान वापसी का दिनांक न होगा, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र या क्षेत्रों पर लागू होंगे।

22–ई–नीलामी के लिये घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों का रजिस्टर :–

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नियम 20 के उप नियम (1) के अधीन क्षेत्रों का एक रजिस्टर प्रपत्र एम.एम. 5 में रखवायेगा।

23–पट्टे के देने पर निर्बन्धन :–

1. ऐसे व्यक्ति को नीलामी/निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा/ई–निविदा सह ई–नीलामी की बोली बोलने या पट्टे के लिये निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी:–
   i. जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।
   ii. जिसके विरूद्ध खनिज देय बकाया हो।
   iii. जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है, से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त न किया हो।
   iv. जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
   v. जो व्यक्ति/फर्म/कम्पनी किसी भी राज्य में नियत तिथि (जिस तिथि को निविदा प्रकिया में भाग लिया जायेगा) को ब्लैक लिस्टेड/डिबार्ड न हो, का शपथ पत्र निविदा प्रकिया में भाग लेने हेतु प्रस्तुत न किया हो।
   vi. ऐसी फर्म एवं कम्पनी के मामले, जिसने पेन कार्ड, जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण, फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र/मेमोरेण्डम आफ आर्टीकल की प्रति प्रस्तुत न की हो।

2. प्रतिभागी बोलीदाताओ द्वारा बोली की धनराशि उतनी ही बोली जायेगी जिसका वह भुगतान करने मे सक्षम हों, निविदा की कार्यवाही को प्रभावित करने के उद्देश्य से बोली गयी उच्चतर धनराशि के अनुसार उक्त धनराशि जमा न कराये जाने पर सम्बन्धित बोलीदाता के द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए सफल बोलीदाता को राज्य में खनन लॉटों की निविदाओं/खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा/भण्डारण अनुज्ञा/स्टोन क्रेशर अनुज्ञा/स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा प्राप्ति हेतु 01 वर्ष की अवधि हेतु प्रतिबन्धित करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।

3. व्यक्ति/फर्म/समिति/कम्पनी/सोसाइटी आदि को विभाग द्वारा खनन पट्टे की आंगणित अधिक्राम आधार मूल्य के शत–प्रतिशत हैसियत के अनुरूप ही खनन पट्टा/पट्टे आवंटित किये जा सकेंगे यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत हैसियत उसके सफल हुये खनन पट्टों के आधार मूल्य से कम पायी जाती है तो सफल घोषित खनन पट्टे एवं अन्य सफल घोषित खनन पट्टों के लिए उसकी अर्हता समाप्त कर दी जायेगी।

24– ई–नीलामी की प्रक्रिया :–

1. राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल राजस्व/वन भूमि क्षेत्रो एवं नदी तल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में नियम–20(1) के अधीन चिन्हित उप खनिज लाटों को निजी व्यक्तियों/निजी व्यक्तियों की कॉपरेटिव समिति/फर्म/कम्पनी को परिहार पर स्वीकृत करने की प्रक्रिया ऑनलाईन ई–नीलामी के माध्यम से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानानुसार तकनीकी निविदा (Technical Bid) एवं वित्तीय निविदा (Financial Bid) पर आधारित होगी, जिसमें तकनीकी एवं वित्तीय निविदा की कार्यवाही uktenders.gov.in पर की जायेगी।

i. तकनीकी निविदा (Technical Bid) हेतु आवश्यक अभिलेख:-

(एक) आवेदक का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण पत्र की प्रति तथा कॉपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति।

(दो) स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।

(तीन) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, समिति के मामलों में समिति के अध्यक्ष/सचिव का चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में सभी भागीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र एवं कम्पनी के मामले में इस आशय का शपथ पत्र कि कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहां आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो।

(चार) आवेदक के पैनकार्ड की प्रति।

(पांच) आवेदक के जी.एस.टी. नं० की प्रति।

(छः) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई-नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक व शाखा नाम, खाता संख्या, आई०एफ०एस०सी० कोड तथा एक निरस्त चैक की प्रति।

(सात) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन अदेयता प्रमाण पत्र। जहां आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता हो, वहां इस आशय के शपथ पत्र की प्रति।

(आठ) कोपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में कॉपी ऑफ रेज्यूलेशन के समस्त पृष्ठों की स्वप्रमाणित प्रति। भागीदारी फर्म के सम्बन्ध में भागीदारी विलेख एवं फर्म के पंजीकरण, कम्पनी के मामले में आर्टिकल आफ एसोशियेशन की प्रति।

(नौ) किसी भी राज्य मे खनन संक्रियाओं की काली सूची में न होने सम्बन्धी शपथ पत्र।

(दस) आवेदक व उसके परिवार के विरूद्ध खनन देयता होने पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(ग्यारह) ई-नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु आवश्यक अन्य अभिलेख, शुल्क एंव धनराशि आदि:-

शुल्क:-ई-नीलामी में इच्छुक प्रतिभागी द्वारा नदी तल राजस्व/वन क्षेत्र खनन लॉट हेतु आवेदन रू0 1,00,000/-(रू0 एक लाख मात्र) एवं नदी तल से भिन्न राजस्व एवं वन भूमि के स्वस्थानें प्रकृति के उपखनिजों हेतु आवेदन शुल्क 05 है0 क्षेत्रफल तक हेतु रू0 2.00 लाख तथा 5.00 है0 से अधिक क्षेत्रफल हेतु रू0 5.00 लाख विभागीय पेमेंट गेटवे अथवा ट्रेजरी चालान जैसा कि महानिदेशक/निदेशक द्वारा तत्समय निर्देशित किया जाये, के माध्यम से विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कराकर चालान/रसीद की स्कैन प्रति तकनीकी निविदा के साथ तथा मूल प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म

विभाग के जनपद कार्यालय में जमा करायी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा। निर्धारित शुल्क विज्ञप्ति में प्रकाशित खनन लॉटवार पृथक–पृथक जमा किया जाना होगा।

1. धरोहर राशि (Earnest Money): किसी क्षेत्र के ई–नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने हेतु Earnest Money जमा करना अनिवार्य होगा, जो निविदित क्षेत्र के आधार मूल्य का 25 प्रतिशत होगी। धरोहर राशि (Earnest Money) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करायी जायेगी, जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के नाम एक वर्ष (01 वर्ष) की अवधि हेतु बन्धक की जायेगी तथा उक्त की छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलोड की जायेगी तथा मूलप्रति तकनीकी निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि से पूर्व मुख्यालय में जमा करायी जानी आवश्यक होगी। धरोहर राशि की मूल प्रति मुख्यालय मे जमा न किये जाने की दशा मे ऐसे आवेदन तकनीकी रूप से ग्राह्य नही होंगे।

आवेदक द्वारा धरोहर राशि के लिये स्वयं के खाते से ही एफ0डी0आर0 बनवायी जानी होगी।

किसी उपखनिज लॉट के लिए विज्ञापन की पुनरावृत्ति होने पर धरोहर राशि के रूप में जमा एफ0डी0आर0 की वैधता की अवधि को अद्यतन किये जाने का दायित्व आवेदक का होगा। पूर्व में जमा एफ0डी0आर0 यदि कालातीत हो जाता है, तो ऐसा प्रतिभागी निविदाकार तत्समय प्रचलित ई–नीलामी प्रकिया हेतु वैध नही माने जायेंगे व ऐसे आवेदकों के आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा।

तकनीकी निविदा मे सफल निविदादाताओं के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर राशि के रूप मे जमा की गयी एफ0डी0आर0 वापस कर दी जायेगी।

3. हैसियत प्रमाण पत्र– जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गयी हैसियत प्रमाण पत्र या सम्पत्ति प्रमाण–पत्र या समाशोधन क्षमता प्रमाण–पत्र (Solvency Certificate) जो आवेदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य से कम न हो।

या

यदि हैसियत प्रमाण–पत्र अद्यतन न हो तो इस शर्त के साथ अन्तरिम रूप से स्वीकार किया जायेगा कि आवेदक इसका शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि इस दौरान (हैसियत प्रमाण–पत्र की तिथि से अद्यतन) नीलामी बोलीदाता के द्वारा संलग्न हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं किया गया है।

या

हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में आवेदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य के बराबर की धनराशि का एफ0डी0आर0 (राष्ट्रीयकृत बैंको से बने हो, न्यूनतम छः माह की अवधि के) जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के नाम बंधक होगे, जमा कराये जा सकेगे।

या

आवेदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य से यदि हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि कम है तो उक्त धनराशि के बराबर की धनराशि का एफ.डी.आर. (राष्ट्रीयकृत बैंको से बने हो, न्यूनतम छः माह की अवधि के) जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के नाम बंधक होगें, जमा कराये जा सकेंगे।

25— ई—नीलामी द्वारा पट्टा दिया जानाः—

1. वित्तीय निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने एंव सफल बोलीदाताओं (H1 से H3 तक) की क्रमवार घोषणा किये जाने के उपरान्त सर्वप्रथम वित्तीय निविदा के सफल बोलीदाताओं में एच—1 बोलीदाता को उनके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर राशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Monery) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एच0—1 बोलीदाता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत यदि उक्त धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्बन्धित की जमा अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए उनके विरूद्व नियम—23(2) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा कोटिक्रम में एच—2 बोलीदाता को एच—1 द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने तथा उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर धनराशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया कोटीकम में H3 तक अपनाई जायेगी। एच—3 द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत उक्तानुसार अनुपालन न किये जाने की दशा में ई—नीलामी की प्रक्रिया को समाप्त घोषित करते हुए पुनः ई—नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

2. सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं उच्यतन बोली धनराशि की पच्चीस प्रतिशत धनराशि, प्रतिभूति धनराशि (Security Money) जमा कराये जाने पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के द्वारा सम्बन्धित के पक्ष में प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्ल्यू0एल0 (यदि आवश्यक हों) की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु नदी तल उपखनिज क्षेत्रों हेतु 06 (छः) माह की अवधि का एवं नदी तल से भिन्न राजस्व/वन भूमि के स्वस्थानें प्रकृति के उपखनिजों हेतु 01 वर्ष की अवधि (जिसमें 06 माह की अवधि आवेदक के द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र में प्रोस्पेक्टिंग कार्य कराये जाने हेतु सम्मिलित है) का "आशय पत्र (Letter of Intent)" निर्गत किया जायेगा। निर्धारित समयवधि में आशयपत्र की अनुपालना न किये जाने पर आशयपत्र धारक के द्वारा आशय पत्र की अनुपालना में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में संतोषजनक कारण साक्ष्य सहित प्रस्तुत किये जाने पर आशय पत्र का अग्रेत्तर 06 माह की अवधि हेतु नवीनीकरण महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा किया जायेगा।

परन्तु आशय पत्र धारक के द्वारा आशय पत्र की स्वीकृति से 02 वर्ष की अवधि तक आशय पत्र मे उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों को पूर्ण न करने की दशा मे सम्बन्धित आशय पत्र धारक से उच्चतम बोली का 05 प्रतिशत की धनराशि प्रतिवर्ष अतिरिक्त वसूल की जायेगी।

3. आशयपत्र धारक द्वारा विभाग में पंजीकृत आर0क्यू0पी0 से खनन योजना तैयार कराकर तथा शुल्क रू0 50,000/— निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करते हुए संबंधित जनपद के जिला खान अधिकारी

कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिला खान अधिकारी द्वारा उक्त खनन योजना को परीक्षण व सत्यापन के उपरान्त संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रेषित किया जायेगा तथा तद्नुसार निदेशक द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त खनन योजना का अनुमोदन किया जायेगा।

4. आशयपत्र धारक के द्वारा आशय पत्र पर स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance), स्वीकृत क्षेत्र के राष्ट्रीय पार्क/सेन्चुरी के 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थित होने की दशा में एन0बी0डब्ल्यू0एल0 (National Board of Wild Life) की अनुमति एवं वन भूमि होने पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि हस्तान्तरण संबंधी अनुमति (Forest Clearance), नदी तल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में अवस्थित उपखनिजों के सम्बन्ध में प्रोस्पेक्टिंग रिपोर्ट एवं अन्य वांछित अनुमतियां व मानक, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जायें, प्राप्त की जायेगी।

5. शासन, मा0 न्यायालयों एंव मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।

6. सफल बोलीदाता द्वारा खनन पट्टा के संबंध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निधन अथवा गम्भीर आशक्त होने की दशा में अग्रेत्तर कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।

7. आशयपत्र धारक के अलावा वित्तीय निविदा के अन्य प्रतिभागियों (जब्त सुदा को छोड़कर) की प्री–बीड अर्नेस्ट मनी वापिस कर दी जायेगी।

8. आशयपत्र में उल्लिखित समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करने के उपरान्त आशयपत्र धारक द्वारा समस्त अभिलेख निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पोर्टल पर ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यालय में जमा कराया जायेगा तथा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की ऑनलाइन/ऑफलाइन संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेगा।

9. अन्य मानक व शर्तें, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय, लागू होंगी।

26– पट्टा विलेख का निष्पादन :–

1. राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति संबंधी आदेश जारी होने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा विलेख निष्पादन से पूर्व वार्षिक नीलामी पट्टा धनराशि की पच्चीस प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष पूर्व में प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में जमा एफ0डी0आर0 को विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में वार्षिक पट्टा धनराशि के सापेक्ष किया जायेगा। नदी तल अवस्थित उपखनिजों के सम्बन्ध में महानिदेशक द्वारा जिला उपनिबन्धक द्वारा सूचित स्टाम्प शुल्क के आधार पर पट्टा विलेख निर्धारित प्रपत्र एम0एम0–6 में निष्पादित किया जायेगा एवं नदी तल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में अवस्थित स्वस्थाने किस्म के उपखनिजों का पट्टा विलेख महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा निष्पादित किया जायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण सम्बन्धित जनपद के जिला उपनिबन्धक अधिकारी से कराया जायेगा। पट्टाविलेख के पंजीकरण के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उसकी एक–एक प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, संबंधित जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी कार्यालय को एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी।

2. पट्टे की अवधि की संगणना:– स्वीकृत खनन/चुगान पट्टों की पट्टावधि की संगणना पट्टा विलेख निष्पादन के उपरान्त पंजीकरण की तिथि से नदीतल स्थित राजस्व/वन भूमि में अवस्थित उपखनिजों के खनन पट्टों हेतु अग्रेत्तर 05 वर्ष की अवधि एवं 05 है० से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे 10 वर्ष की अवधि के लिये तथा स्वस्थानें प्रकृति के उपखनिज के खनन क्षेत्र हेतु 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे।

परन्तु पूर्व के ई–निविदा सह ई–नीलामी से स्वीकृत ऐसे खनन पट्टे, जिनकी पट्टावधि की गणना आशय पत्र (Letter of Intent) की तिथि से की गयी है, की पट्टावधि की गणना पट्टा विलेख के निष्पादन के पंजीकरण की तिथि से अग्रेत्तर 05 वर्ष हेतु की जायेगी। उक्त प्राविधान मात्र उन खनन पट्टों पर ही लागू होगा, जिनकी समयावधि दिनांक 31.12.2023 तक अवशेष है।

3. पूर्व में ई–निविदा सह ई–नीलामी से स्वीकृत खनन पट्टों हेतु सफल निविदादाता धनराशि (ई–नीलामी बोली का 10 प्रतिशत) एवं प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि (ई–नीलामी बोली का 10 प्रतिशत) एवं आशयपत्र के अग्रेत्तर वर्ष के नवीनीकरण हेतु जमा 20 प्रतिशत धनराशि को उक्त खनन पट्टों की अग्रेत्तर वर्षों की पट्टा धनराशि के सापेक्ष समायोजित किया जा सकेगा।

4. यदि नदी तल स्थित राजस्व/वन भूमि में बालू या मौरंग या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली–जुली अवस्था में हो, के लिये खनन पट्टा दिये जाने के आदेश दे दिया हो, वहां उच्च बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, आदेश के दिनांक के सात दिन के भीतर या सात दिन से अनधिक ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर जैसी निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय अनुमति करें, जमा कर दी जायेगी और प्रपत्र एम०एम०–6 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में, जैसा प्रत्येक मामले के परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, एक पट्टा विलेख उक्त आदेश की संसूचना के दिनांक से एक माह के भीतर या ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर, जैसी निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय तदर्थ अनुमति करें, निष्पादित कर दिया जायेगा।

परन्तु यदि नदी तल से भिन्न राजस्व/वन भूमि में स्वस्थानें प्रकृति के उपखनिजों सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के लिये खनन पट्टा दिये जाने के आदेश दे दिया हो, वहां उच्च बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, आदेश के दिनांक के सात दिन के भीतर या सात दिन से अनधिक ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर, जैसी राज्य सरकार/शासन अनुमति करें जमा कर दी जायेगी और प्रपत्र एम०एम०–6 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में, जैसा प्रत्येक मामले के परिस्थितियों द्वारा आपेक्षित हो, एक पट्टा विलेख उक्त आदेश के संसूचना की दिनांक से एक माह के भीतर या ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर, जैसी जैसी राज्य सरकार/शासन तदर्थ अनुमति करें, निष्पादित कर दिया जायेगा।

27. पट्टा का रजिस्टर :

1. खनन पट्टों का एक रजिस्टर जिला अधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के कार्यालय में प्रपत्र एम०एम०–7 में रखा जायेगा और उसकी एक प्रतिलिपि जिला खान अधिकारी द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को भेजी जायेगी।

अध्याय –5
खनन पट्टे की शर्तें

28– इस अध्याय में उल्लिखित शर्तें सभी पट्टो में लागू होगी :

(1) प्रत्येक खनन पट्टा इस अध्याय में उल्लिखित शर्तो के अधीन होगा, जिन्हे इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे में समाविष्ट कर लिया गया समझा जायेगा।

29– अन्य खनिजों की खोज :

(1) पट्टेदार, पटटे पर दिये गये क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज की सूचना, जो पटटे में निर्दिष्ट न हो, राज्य सरकार को उक्त खोज के दिनांक से तीस दिन के भीतर देगा।

(2) यदि पट्टे पर दिये गये क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज का पता चल जाये, जो पट्टे में निर्दिष्ट न हो, तो पट्टेदार खनिज को तब तक लब्ध (win) और उसका निस्तारण नहीं करेगा, जब तक कि उसके लिये पृथक पट्टा न ले लिया जाये।

30– विदेशी राष्ट्रिक सेवायोजित नही किया जायेगा :–

राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पट्टेदार खनन संक्रियाओं के सम्बन्ध में किसी ऐसे व्यक्ति को सेवायुक्त नही करेगा, जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।

31– खनन संक्रियाओं एक माह के भीतर प्रारम्भ होगी :–

(1) सिवाय उस दशा मे जब राज्य सरकार पर्याप्त कारणों से अन्यथा अनुमति दे, पट्टेदार पट्टा विलेख के निष्पादन व उपनिबन्धक द्वारा विलेख के निबन्धन के दिनांक से एक माह के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ और तत्पश्चात जानबूझकर आंतरायनिक (इंटरमिशन) किये बिना ऐसी संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से तथा कुशल कारीगर की भांति करेगा।

(2) नदी तल उपखनिज क्षेत्रों एवं स्वस्थानें चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप के सम्बन्ध में खनन संक्रियायें, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित योजना के अनुसार, जिसमें वार्षिक विकास योजनाओं का ब्यौरा होगा, की जायेगी।

(3) उपनियम (2) में अभिदिष्ट खनन योजना खान और खनिज (विनियन और विकास) अधिनियम, 1957 कें अधीन बनाये गये खनिज रियायत नियमावली 1960 के उपबंधों के अन्तर्गत अर्हता रखने वाले भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में पंजीकृत आर०क्यू०पी० (Registered Qualified Person) द्वारा तैयार की जायेगी।

(4) पट्टेदार आर०क्यू०पी० द्वारा तैयार किये गये खनन योजना की 04 प्रतियां अनुमोदन हेतु सम्बन्धित जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा एवं जिला खान अधिकारी के द्वारा खनन योजना का परीक्षण एवं सत्यापन किये जाने के उपरान्त 15 दिवस के भीतर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को प्रेषित की जायेगी। निदेशक के द्वारा खनन योजना की प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर उसे अनुमोदित कर सकता है, उपान्तरित कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। नदी तल, नदी तल

से लगे क्षेत्रों में बालू, बजरी, बोल्डर (आर0बी0एम0) से सम्बन्धित उपखनिज के खनन पट्टों एंव स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टे की खनन योजना अनुमोदन हेतु शुल्क रू0 50,000/– देय होगा, जो कि निर्धारित विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(5) Registered Qualified personnel (RQP) के द्वारा खनन योजना में निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा तथा उक्त खनिज का तकनीकी एंव पर्यावरणीय दृष्टिकोण से खनन संक्रियायें संचालित किये जाने की विधि का वर्णन निहित होगा। खनन योजना में खनन क्षेत्र के डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स का वर्णन व जियोरैफरेनस्ड खसरा मानचित्र पर अंकन किया जाना होगा तथा खनन क्षेत्र में समाहित यथा स्थिति राजस्व भूमि व वन भूमि का क्षेत्रफल वार राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित वर्णन संलग्न किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त खनन योजना में पांच सौ मीटर की परिधि में आने वाले सभी स्वीकृत खनन लॉटों, सार्वजनिक स्थलों, समीपस्थ पुलों को प्रदर्शित करता 1:10,000 का सैटेलाईट मानचित्र संलग्न करना होगा, जिसमें नदी की अद्यतन सीमा स्पष्ट रूप से चिन्हित हो तथा नदी के दोनों किनारों से निर्धारित दूरी छोड़ते हुए चिन्हित किया गया खनन योग्य क्षेत्रफल स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। किसी भी खनन क्षेत्र के कोनों के डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स आवश्यक रूप से अभिलिखित होंगे व बडे खनन क्षेत्रों की दशा में प्रत्येक सौ मीटर की दूरी पर डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेटस अंकित किये जाने होंगे। राजस्व एंव सैटेलाईट मानिचत्र पर यथास्थिति राजस्व, वन भूमि एंव निजी नाप भूमि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना होगा। समस्त मानचित्रों की डिजिटल प्रति भी प्रेषित की जानी होगी।

(6) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टे से सम्बन्धित अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग की अवधि समाप्त होने से 03 माह पूर्व तक स्कीम ऑफ माइनिंग निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी तथा यदि अनुमोदित अवधि व्यतीत हो गई हो तो उन खानों को तत्काल बन्द कर दिया जाये। जिला खान अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी खदान खनन योजना अनुमोदन के बिना संचालित न हो।

(7) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टाधारकों को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पक्ष में बैंक गारन्टी रू0 2.00 लाख (दो लाख) 5.00 है0 क्षेत्रफल तक के खनन पट्टों हेतु तथा 5.00 है0 से अधिक के खनन पट्टों हेतु रू0 5.00 लाख (रूपया पांच लाख) खनन योजना, खनन स्कीम एवं उत्तरोत्तर खान बन्दी योजना की शर्तों की अनुपालना लागू किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में 05 वर्ष की अवधि हेतु तैयार कर प्रस्तुत की जायेगी।

(8) स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत निरन्तर 02 वर्ष तक खनन कार्य बंद रहने की दशा में खनन पट्टा स्वतः समाप्त (Deemed to be lapsed) की श्रेणी में समझा जायेगा तथा ऐसे खनन पट्टाधारकों को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करते हुए जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

32– सीमा चिन्ह खड़ा करना और उसका अनुरक्षण :–

पट्टेदार पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन के पश्चात और पट्टा विलेख निष्पादित करने के पूर्व अपने स्वयं के व्यय पर ऐसा सीमा चिन्ह और खम्भे को लगायेगा, जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिये आवश्यक हो और उनका सदैव अनुरक्षण करेगा और अच्छी दशा में रखेगा तथा प्रत्येक वर्षाकाल के उपरान्त क्षतिग्रस्त सीमास्तम्भों को पुनः स्थापित करेगा।

33– खनिजों का ठीक–ठीक लेखा रखना :–

पट्टेदार खनिजों का ठीक–ठीक लेखा रखेगा, जिसमे वह खान (Mine) से प्राप्त तथा भेजे गये सभी खनिजों की मात्रा तथा अन्य विवरण देगा और साथ ही परिवहन की प्रणाली वाहन का निबन्ध (रजिस्ट्रेशन) संख्या, वाहन या पशु का प्रभारी व्यक्ति तथा ढोये गये खनिज का प्रकार और मात्रा, खनिज की सभी बिक्री के मूल्य तथा समस्त अन्य विवरण, उसमें सेवा युक्त व्यक्तियों की संख्या और राष्ट्रीयता तथा खान के पूरे नक्शे देगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी समय उसके (पट्टेदार) द्वारा रखे गये किन्ही लेखों, नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण करने की अनुमति देगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार को ऐसी समस्त सूचना तथा विवरणियां देगा, जो केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा उसमें से किसी के द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी अपेक्षा करे।

34– खाइयों, गड्ढों आदि का अभिलेख रखना :–

पट्टेदार, पट्टे के अधीन अपने द्वारा की गयी खनन संक्रियाओं के दौरान में अपने द्वारा खोदी गयी खाइयों, गड्ढों और बरमा में बनाये गये सूराखों (Drillings) का ठीक–ठीक अभिलेख रखेगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उनका निरीक्षण करने की अनुमति देगा। ऐसे अभिलेखों में निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्

(क) वह अधोभूमि (Sub soil) और भूगर्भ स्तर (strata), जिसमें होकर किसी ऐसी खाईयां गड्ढे खोदे जायें या बरमें से सूराख किये जाये।
(ख) कोई खनिज जो प्राप्त हो।
(ग) ऐसे अन्य विवरण, जिसकी केन्द्रीय या राज्य सरकार समय–समय पर अपेक्षा करे।

35– पट्टेदार द्वारा मजबूत करना, टेक आदि लगाना :–

पट्टेदार यथास्थिति संबद्ध रेलवे प्रशासन या राज्य सरकार के संतोषानुसार खान के किसी ऐसे भाग को मजबूत करेगा और उसमें टेक लगायेगा (strength & support), जिसे ऐसे प्रशासन या सरकार की राय में किसी रेल, जलाशय (reservoir), नहर (canal), सडक (road) या किसी अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य या भवनों की सुरक्षा के लिये इस प्रकार मजबूत करना या उसमें टेक लगाना आवश्यक हो।

36– अग्रक्रयाधिकार (हकशक) :–

(1) राज्य सरकार को सदा ऐसी भूमि, जिसके सम्बन्ध में पट्टा दिया गया हो, से लब्ध खनिजों या खनिजों के उत्पादन का अग्रक्रयाधिकार (right of pre-emption) होगा, जिस मूल्य का भुगतान किया जायेगा, वह अग्रक्रयाधिकार के समय प्रचलित उचित बाजार मूल्य होगा।

(2) उक्त मूल्य निकालने में सहायता देने के लिये पट्टेदार यदि उस से ऐसी अपेक्षा की जाय तो राज्य सरकार को उसकी गोपनीय सूचना के लिये अन्य ग्राहको को बेचे गये ऐसे खनिजों या उनके उत्पादनों तथा उन्हे ढोने के लिये अधिकतर पत्रों का विवरण और मूल्य प्रस्तुत करेगा।

37—पट्टेदारों की स्वतंत्रता, अधिकार और विशेषाधिकार :—

नियम 36 में उल्लिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन रहते हुये, इस नियमावली के अधीन खनन पट्टा धारण करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित के सम्बन्ध में स्वतंत्रता अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होगा:—

(क) पट्टे में उल्लिखित भूमि पर प्रवेश करना और खनिज की खोज करना, उस खनिज को जिसके लिये पट्टा हो, वेधन करना (bore) उसे खोदना, उनमें बरमें द्वारा सुराग करना (drill) या उसे लब्ध करना, उस पर काम करना, उसका प्रशाधन (Dress) करना, उसकी प्रक्रिया करना, उसे बदलना, उसे ले जाना और उसका निस्तारण करना।

(ख) उक्त भूमि में कोई गड्ढा खोदना, कूपक (Shafts), ढाल (Inclines), पशुमार्ग (Drifts), समतल, जलमार्ग (Water ways) बनाना या अन्य निर्माण कार्य करना।

(ग) भूमि पर कोई मशीन, संयत्र स्थापित करना, प्रसाधन करना, फर्श बिछाना, भट्ठिया बनाना, ईट भट्टे लगाना, कर्मशालायें, माल गोदाम और उसी प्रकार के अन्य भवनों का निर्माण करना ।

(घ) उक्त भूमि पर सड़क तथा अन्य रास्ते बनाना और उनका उपयोग करना और उन पर आवागमन करना। यदि स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्तर्गत कोई गूल/नाला/मार्ग के कारण खनन कार्य प्रभावित होता है तो स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत ही उक्त स्थानों की प्रतिस्थानी व्यवस्था स्वयं के व्यय पर कर सकता है। स्वीकृत खनन क्षेत्र तक पहुंच मार्ग/कच्चा मार्ग का निर्माण राज्य सरकार की भूमि में अपने स्वयं के व्यय पर कर सकता है।

(ङ) पत्थर खोदना (to quarry) और पत्थर की बजरी (stone gravel) तथा अन्य भवन और सड़क सम्बन्धी सामान्य तथा मृदा तैयार करना और उसका उपयोग करना और ऐसे ईटों या खैपरैल निर्मित करना और ऐसी मृदा से ईटों या खपरैलों का प्रयोग करना, किन्तु ऐसे सामान ईट या खपरैलो (tiles) को बिना अनुमति न बेचना।

(च) उक्त भूमि की सतह पर पर्याप्त भाग का खानों के लिये किसी उत्पादन या किये गये कार्यों और औजारों (tools), सज्जा (equipment) मिट्टी तथा सामानों और खोदे गये या निकाले गये पदार्थो का संग्रहण या जमा करने के प्रयोजन के लिये उपयोग करना और

(छ) अन्य व्यक्तियों के वर्तमान अधिकारों के अधीन रहते हुये और नियम 38 के खण्ड (घ) में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये झाड़ियॉ (under growth) और घनी झाडी को साफ करना तथा उक्त भूमि पर खडे या पाये गये वृक्षों या इमारती लकडी वृक्षों का गिराना और उसका उपयोग करना। बशर्ते जिला अधिकारी पट्टेदार को उसके (पट्टेदार) द्वारा गिराये गये और उपयोग में लाये गये किन्ही वृक्षों या इमारती लकडियों का उन दरों पर भुगतान करने के लिए कह सकता है, जो जिला अधिकारी द्वारा उनके बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुये निर्धारित की जाय।

38– पट्टेदार की स्वतन्त्रता, अधिकार और विशेषाधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्बन्धन एवं शर्तें :–

पट्टेदार नियम 37 में उल्लिखित स्वतन्त्रता, अधिकार और विशेषाधिकार का प्रयोग निम्नलिखित निर्बन्धनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुये करेगा :–

(क) निम्नलिखित स्थानों पर न कोई चीज खडी या स्थापित की जायेगी और न कोई सतह संक्रियाओं की जायेगी।

(1) किसी सार्वजनिक स्थल, शमशान अथवा कब्रिस्तान या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र माने जाने वाला कोई स्थान या मकान अथवा ग्राम–स्थल, सार्वजनिक सडक या कोई अन्य स्थान, जो जिला अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थान घोषित किया जाये

(2) ऐसी रीति से न तो कोई चीज खडी या स्थापित की जायेगी और न कोई सतह संक्रियाये की जायेगी, जिससे किसी भवन निर्माण कार्य, सम्पत्ति या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को क्षति पहुचे अथवा उन पर प्रतिकूल प्रभाव पडे।

(ख) पट्टे में असम्मिलित निर्माण कार्यो या प्रयोजनों के निमित कोई ऐसी भूमि, सतह संक्रियाओं के लिये प्रयुक्त न की जायेगी, जो राज्य सरकार से भिन्न व्यक्तियों के दखल से पहले से ही हो।

(ग) किसी भी मार्ग, कुआं या तालाब का उपयोग करने के अधिकार पर हस्तक्षेप न किया जायेगा।

(घ) प्रभागीय वन अधिकारी (Divisional Forest Officer) की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना न तो किसी आरक्षित (reserved) सुरक्षित या निहित वन में प्रवेश किया जायेगा और न ही उक्त अधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त किये बिना और न ऐसी शर्तो के विपरीत, जो राज्य सरकार तदर्थ आरोपित करे, किसी इमारती लकड़ी या वृक्षो को गिराया, काटा या उनका उपयोग किया जायेगा।

(ङ) सम्बद्व रेलवे प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी रेलवे लाइन से या जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी जलाशय (reservoir), नहर या अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे सार्वजनिक सडकों या भवनों या निवासित स्थल (In-habited site) से और ऐसे अनुदेशों तथा शर्तो के विपरीत चाहे वे सामान्य या विशेष हो, जो ऐसी अनुमति में दी जाय, 50 मीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान (point) पर या किसी स्थल तक कोई खनन संक्रियायें न की जायेगी। रेलवे, जलाशय, नहर या सडक की दशा में 50 मीटर की उक्त दूरी, यथास्थिति, किनारे (bank) के बाहरी जिहवांग (toe) या कटाई (cutting) के बाहरी कोर (edge) से क्षितिजरूप (horizontally) से और भवन की दशा में उसकी कुर्सी (plinth) से क्षितिजरूप से मानी जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम सड़क की दशा में यह कटाई के बाहरी कोर से 10 मीटर होगी।

स्पष्टीकरण :– इस उप नियम के प्रयोजनो के लिये इस "सार्वजनिक सडक" का तात्पर्य ऐसी सडक से होगा जो कृत्रिम रूप से समतल किये जाने के पश्चात बनाई गई हो और जो निरन्तर प्रयोग के परिणामस्वरूप बने पथ (track) से भिन्न हो और ग्राम–सडक के अन्तर्गत कोई ऐसा पथ होगा, जो राजस्व अभिलेख में ग्राम–सडक के रूप में किया गया हो।

(च) किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो पट्टेदार द्वारा धृत भूमि में समाविष्ट हो या उससे आसन्न हो या उससे अभिगम्य हो, सरकारी पट्टे या अनुज्ञा-पत्र के वर्तमान या भावी धारकों को वहां आने-जाने की समुचित सुविधायें दी जायेंगी। यदि इस स्वतन्त्रता का प्रयोग करने के कारण ऐसे पट्टाधारियों या अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा कोई हानि या क्षति पहुचाई जाये तो ऐसे पट्टेदारों या अनुज्ञापत्रधारी द्वारा पट्टेदार को उसके लिये उचित प्रतिकर (जो परस्पर सहमति द्वारा तय हो असहमति होने की दशा में, जो सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्णित किया जाये) देय होगा। स्वस्थाने चट्टानों में पट्टाधारक एवं भू-स्वामी की आपसी सहमति से खनन कार्य किया जायेगा। यदि भू-स्वामी द्वारा एक बार किसी निश्चित अवधि के लिए खनन कार्य किये जाने की सहमति हेतु अनुबन्ध किया गया है तो उक्त अवधि में दी गयी सहमति को वापस नही ले सकेगा एवं अनुबन्ध के नवीनीकरण के समय पट्टाधारक एवं भू-स्वामी के मध्य सहमति नहीं बन पाती है तो ऐसी स्थिति में पट्टाधारक द्वारा भूस्वामी की सम्बन्धित भूमि को समतल कर फसली मुआवजा प्रतिवर्ष भूस्वामी को देना होगा ताकि खनन कार्य प्रभावित न हों। पट्टाधारक एवं भू-स्वामियों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी आर्बिटेटर होंगे तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा।

(छ) पट्टेदार के द्वारा नदी तल में स्वीकृत खनन क्षेत्रों में खनन/चुगान कार्य सतह से अधिकतम 03 मी0 की गहराई तक अथवा भू-जल स्तर, जो भी कम हो, तक किया जायेगा।

39– सभी दावों के विरूद्ध पट्टेदार सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा :-

पट्टेदार सभी हानि या विक्षेप के लिये, जो पट्टे द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करने मे उसके द्वारा की गयी हो, भुगतान करने की प्रत्याभूति (guarantee) देगा और ऐसे समुचित प्रतिकर का भुगतान करेगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाये और उन सभी दावों, वादों तथा मांगों और उनके प्रति जो किसी ऐसी हानि, क्षति या विक्षोभ के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों द्वारा की जायेगी या लायी जाये और उनके सम्बन्ध में सभी परिव्ययों की राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा पूर्णतया क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

40– पट्टेदार गड्ढो, कूपकों आदि को सुरक्षित और अच्छी दशा में रखेगा :-

पट्टेदार पट्टे की अवधि में ऐसे सभी गड्डो, कूपकों (shafts), और कार्यकरणों (workings) को, जो भूमि बनाये जाये या प्रयुक्त किये जाये, इमारती लकडी या अन्य स्थायी उपायों से पर्याप्त रूप से सुरक्षित और खुला रखेगा और राज्य सरकार के संतोषानुसार प्रत्येक ऐसे गड्ढे, कूपक या कार्यकरण के चारों ओर, चाहे वह परित्यक्त कर दिया गया हो या नही, पर्याप्त रूप से बाड़े लगायेगा और उनका अनुरक्षण करेगा और उसी अवधि में भूमि पर के सभी कार्यकरणों को सिवाय उनके, जो परित्यक्त किये जाये, प्रवेश्य और यथासंभव जल एवं दूषित वायु से मुक्त रखेगा।

41–पट्टेदार, कार्यकरणों के निरीक्षण की अनुमति देगा :

पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी को भू-गृह दिनांक से, जिसके अन्तर्गत पट्टे में समाविष्ट कोई भवन, उत्खनन या भूमि भी है, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करने और उसके नक्शे (plan) बनाने, न्यादर्शन (sampling) और कोई आधार सामग्री एकत्र करने के प्रयोजन के

लिए प्रवेश करने की अनुमति देगा और पट्टेदार ऐसे उपयुक्त व्यक्ति के साथ, जो पट्टेदार द्वारा सेवायोजित किया गया हो तथा जो खानों और खनिकर्म से परिचित हो, उक्त अधिकारी, अभिकर्ताओं, सेवकों और कर्मचारी (workman) को प्रत्येक ऐसे निरीक्षण करने में प्रभावपूर्ण रूप से सहायता देगा और उन्हे खानों की कार्यप्रणाली (working) से संबद्व सभी सुविधायें व सूचना देगा, जिनकी वे उचित रूप में अपेक्षा करें और ऐसी सभी आज्ञाओं तथा विनियमों के अनुसार कार्य भी करेगा और उनका पालन करेगा, जिन्हे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण के फलस्वरूप या अन्य प्रकार से समय–समय पर देना या बनाना उचित समझें।

42– पट्टेदार, दुर्घटना का प्रतिवेदन देगा :–

पट्टेदार अविलम्ब जिला अधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को प्रत्येक ऐसी दुर्घटना का प्रतिवेदन भेजेगा, जो पट्टे के अधीन किन्ही संक्रियाओं के दौरान हो जाये और जिसके कारण मृत्यु हो जाये या गंभीर शारीरिक चोट पहुचें या सम्पत्ति को गंभीर क्षति पहुचें या जिससे जीवन या सम्पत्ति पर गंभीर प्रभाव पडे या वह संकट में पड जाये।

43– पट्टेदार आधुनिक तौल मशीन एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा आदि की व्यवस्था करेगा :–

(क) पट्टाधारक के द्वारा चुगान/खनन पट्टा क्षेत्र के गेट पर कम्प्यूट्राईज्ड धर्मकांटा एवं वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये स्वंय के व्यय पर 360 डिग्रीकोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य आधुनिक आई0पी0 बेस्ड सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चैक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चैक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0 आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित बारकोड का डाटा पढ़ने व सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख–रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम–66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त के अनुपालन के सम्बन्ध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चत किया जायेगा।

(ख) पट्टेदार/अनुज्ञापत्र धारक के द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र के प्रवेश/निकासी गेट पर स्वीकृत खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण यथा पट्टाधारक का नाम एवं पता, सम्पर्क/दूरभाष नम्बर, स्वीकृत क्षेत्रफल, स्वीकृति आदेश की संख्या एवं दिनांक, स्वीकृत पट्टावधि, खनिज का प्रकार, प्रतिवर्ष निकासी की स्वीकृत मात्रा एवं खनिमुख पर खनिज के विक्रय मूल्य की दर को प्रदर्शित करेगा।

44– उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति:

पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र मे खनन संक्रियाओं हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish एवं Consent to operate की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।

45– पट्टाधारक द्वारा पर्यावरणीय अनुमति (Environment Clearance), वन अनापत्ति (यदि लागू हो), एन0बी0डब्लु0एल0 की अनुमति (यदि लागू हो),

खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों, मा0 न्यायालयों, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/दिशा–निर्देशों के अधीन खनन संक्रियायें सम्पादित की जायेंगी।

46– पट्टेदार कोई भी अतिरिक्त आवश्यक धनराशि जमा करेगा :

जब कभी प्रतिभूति जमा या कोई भाग या उसकी पूर्ति में राज्य सरकार के पास जमा की गई कोई अतिरिक्त धनराशि इस नियमावली द्वारा दिये गये अधिकार के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली जाये या प्रस्तुत की जाये, तो पट्टेदार राज्य सरकार के पास ऐसी और धनराशि जमा करेगा, जो ऐसी जब्ती या प्रयुक्ति के कारण हुई कमी को पूरा करने के लिये आवश्यक हो।

47–सरकार द्वारा किये गये व्ययों की वसूली :–

यदि कोई निर्माण या विषय, जो इस नियमावली के अनुसार पट्टेदार द्वारा कार्यान्वित या संपादित किये जाने वाले हो, तदर्थ निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्यान्वित या संपादित करा सकती है और पट्टेदार के मांगने पर राज्य सरकार को उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा किये गये सभी व्ययों का भुगतान करेगा। ऐसे व्ययों के सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

48– जमा प्रतिभूति को वापस किया जाना :–

खनन पट्टे की समाप्ति के पश्चात राज्य सरकार के पास जमा पडी हुई प्रतिभूति की धनराशि जो इस नियमावली में उल्लिखित किन्ही भी प्रयोजनों में प्रयुक्त किये जाने के लिये अपेक्षित न हो, साधारणतया पट्टे की समाप्ति के दिनाक से छः मास की अवधि के भीतर पट्टेदार को वापस कर दी जायेगी।

49– सार्वजनिक स्थल, नदी पर निर्मित पुल, नदी के किनारे आदि से सुरक्षित दूरी:–

क– राज्य के वन नदी क्षेत्रों में नदी की कुल चौड़ाई का दोनों किनारों से एक चौथाई भाग छोड़कर तथा राजस्व/निजी नाप भूमि के नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में नदी की कुल चौड़ाई का दोनों किनारों से 15–15 प्रतिशत भाग अथवा न्यूनतम 10 मी0 छोड़कर उपखनिज का चुगान कार्य किया जायेगा।

ख– श्मशान, सार्वजनिक स्थल आदि से 50 मी0 की दूरी को प्रतिबन्धित करते हुये उपखनिज का चुगान कार्य अनुमत्त गहराई तक किया जायेगा।

ग– नदी पुल के अपस्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम में 100 मी0 की दूरी तक अथवा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित दूरी के अन्तर्गत चुगान कार्य प्रतिबंधित होगा।

50 – खनन पट्टा हेतु अतिरिक्त शर्तें–

1. चुगान पट्टा क्षेत्रों से निकासी किये गये उपखनिज की मात्रा का आंगणन आयतन (Volume) में न करके भार (Weight) के अनुसार किया जायेगा।
2. चुगान पट्टा क्षेत्रों से खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहनो का पंजीकरण भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में कराया जाना अनिवार्य होगा, जिस हेतु यदि राज्य सरकार के द्वारा कोई शुल्क

निर्धारित किया जाता है तो वह वाहन स्वामी के द्वारा देय होगा।

3. प्रत्येक पट्टाधारक/अनुज्ञापत्र धारक को चुगान कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपद स्तरीय कार्यालयों में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

4. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टों से उत्खनित कर विक्रय की गई उपखनिज की मात्रा पर देय रायल्टी धनराशि का आंगणन किया जायेगा। खनन योजना में निर्धारित वार्षिक निकासी की मात्रा से 50 प्रतिशत से कम उत्पादन होने की दशा में पट्टाधारक को इस सम्बन्ध में लिखित रूप से कारणों का उल्लेख कर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को सूचित करना अनिवार्य होगा।

5. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के आशय पत्र पर स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों में खनिज सम्पदा के भण्डार की मात्रा एवं गुणवत्ता का आंगणन पूर्ववत् की भांति Pitting & Trenching के माध्यम से किया जा सकेगा। खनन पट्टा आशयपत्रधारक को खनन पट्टा क्षेत्रों में खनिज सम्पदा के भण्डार की मात्रा एवं गुणवत्ता का आंगणन आधुनिक ड्रिलिंग मशीनों से कराये जाने की स्वतन्त्रता होगी।

6. नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में जे०सी०बी०, पोकलैण्ड, सैक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नही किया जायेगा।

परन्तु विशेष परिस्थितियों में जैसे पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाने, क्षेत्र में बडे आकार के बोल्डर को हटाने, पट्टा क्षेत्र में फंसे वाहनों को निकालने आदि की दशा मे अनुमति सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के द्वारा खान अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त प्रदान की जायेगी।

7. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टों मे Mechanized विधि से खनन संक्रियाऐं संचालन हेतु मशीन/पोकलैण्ड/डोजर/एक्सकेवेटर आदि के उपयोग की अनुमति जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा दी जायेगी।

8. पट्टाधारक राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी०सी०एस०, जिला खनिज फाउन्डेशन (DMF) आदि अन्य शुल्क नियमानुसार जमा किया जायेगा।

9. पट्टाधारक पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों का विदोहन/परिवहन सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य करेगा।

10. आवेदक के पक्ष में खनन पट्टा का आशय पत्र (Letter of Intent) व खनन पट्टा के शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उक्त खनन पट्टा का आशय पत्र (Letter of Intent) व खनन पट्टा के शासनादेश आवेदनकर्ता के विधिक वारिस को सक्षम स्तर से निर्गत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र तथा उक्त आवेदन हेतु इच्छुक होने का नोटराईज्ड अनुरोध शपथ पत्र निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में 03 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत आशय पत्र/शासनादेश को निरस्त कर आवेदित क्षेत्र को रिक्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

11. पूर्व से स्वीकृत स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज सोपस्टोन के खनन पट्टों की अवधि का

विस्तारीकरण पट्टाधारक के अनुरोध पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा किया जायेगा। वर्ष 2015 से पूर्व के स्वीकृत खनन पट्टों की अवधि का विस्तारीकरण मूल खनन पट्टा विलेख के पंजीकरण की तिथि से 50 वर्ष तक होगी। इस हेतु पट्टाधारक को अनुपूरक पट्टाविलेख रू० 10,000/- के स्टाम्प पेपर पर कराया जायेगा। पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टों की अवधि का विस्तारीकरण इस नियमावली के प्रख्यापन की तिथि से 06 माह के अन्तर्गत पट्टाधारक के द्वारा पूर्ण कराया जाना आवश्यक होगा।

12. स्वस्थानें चट्टानों हेतु स्वीकृत खनन पट्टों में ओवरबर्डन/मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर नहीं डाला जायेगा, यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर ओवरबर्डन/मिट्टी/मलवा डाला जाता है, तो सम्बन्धित पट्टाधारक पर रू० 5.00 लाख का जुर्माना जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिरोपित किया जायेगा।

13. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि हेतु आवेदित क्षेत्रफल के अन्तर्गत राज्य सरकार की भूमि आती है तो ऐसी भूमि को 25 प्रतिशत की सीमा तक निजी भूमि के साथ सम्मिलित किया जा सकेगा तथा प्रश्नगत क्षेत्र से उत्खनित खनिज पर नियमानुसार रायल्टी देय होगी। पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत राज्य सरकार की भूमि आती है, तो उक्त क्षेत्र से खनिज को उत्खनित किया जा सकता है तथा उत्खनित खनिज पर नियमानुसार रायल्टी देय होगी।

14. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनन पट्टाधारकों को वर्षाकाल में खदान का भूधसाव से बचाव एवं Natural Drainage का प्रबन्ध करते हुए पूर्ण सुरक्षित उपायों के साथ खनन किया जा सकेगा।

अध्याय –6

खनन अनुज्ञा–पत्र

51– खनन अनुज्ञा पत्र के दिये जाने पर निर्बन्धन :–

1. कोई खनन अनुज्ञा पत्र ऐसे व्यक्ति को न दिया जायेगा जो भारतीय राष्ट्रिक न हो, जिसके विरूद्ध या उसके परिवार के विरूद्ध खनन बकाया हो तथा राज्य का मूल निवासी/स्थायी निवासी न हो।
2. नदी तल/गधेरा/नाला में उपखनिजों का चुगान, नदी तल से भिन्न निजी नाप/राजस्व भूमि में भवनों के निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान, ईट मिटटी के खुदान, साधारण मिट्टी का खुदान आदि तथा कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा मोटर मार्ग निर्माण के कटान से निकलने वाले उपखनिज व जल विद्युत परियोजना के निर्माण की टनल आदि से निकलने वाले उपयोगी उपखनिजों, जिनका व्यवसायिक/परियोजना निर्माण में उपयोग किया जायेगा, हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी।
3. खनन अनुज्ञा की अवधि अधिकतम 06 माह (छः माह) होगी तथा स्वीकृत अनुज्ञा की अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।

52– खनन अनुज्ञा–पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र :–

खनन अनुज्ञा–पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम०एम० 8 में चार प्रतियों मे जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके द्वारा आवेदन पत्र तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का

परीक्षण किया जायेगा तथा अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराते हुए स्थलीय जांच/निरीक्षण हेतु समिति के सदस्यों को सूचित किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे:–

(1) आवेदन शुल्क रू0 10,000.00 की जमा रसीद।

(2) भू–कर सर्वेक्षण मानचित्र की चार सत्यापित प्रतियां या ऐसे सर्वेक्षण के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र की स्थिति में धरातल मानचित्र की ऐसे पैमाने पर, जिसमें कम से कम "4 इंच बराबर एक मील" के हो, चार ऐसी प्रतियां, जिसमें वह क्षेत्र जिसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो।

(3) खसरा खतौनी की सत्यापित प्रति।

(4) खनन अदेयता प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो।

(5) आयकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति।

(6) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।

(7) मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति।

(8) जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की प्रति।

(9) हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति।

53– प्रार्थना पत्र का निस्तारण :–

1. उपरोक्त नियम–52 (2) में उल्लिखित अनुज्ञाओं हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों हेतु स्थलीय जांच/निरीक्षण उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।

2. मैदानी क्षेत्रों में स्वयं की निजी नाप में स्थल विकास करने के उद्देश्य से भूमि को समतल किये जाने, भवनों के बेसमेंट की खुदाई अथवा भूमि समतलीकरण किये जाने पर निकलने वाली साधारण मिट्टी आदि का उपयोग उसी निजी नाप भूमि के भूमि सुधार हेतु किये जाने पर अनुज्ञा स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी, परन्तु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व उक्त के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को सूचित किया जायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों मे उपरोक्तानुसार उल्लिखित क्रिया कलापों हेतु सम्बन्धित खान निरीक्षक/जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। इस हेतु Excavator मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। मैदानी/पर्वतीय क्षेत्रों मे उक्त क्रिया के अन्तर्गत निकलने वाले उपखनिजों को अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का सम्बन्धित खान निरीक्षक/जिला खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी। उक्त क्रिया कलाप खनन की श्रेणी मे नही आयेंगे तथा उक्त हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नही होगी।

3. नियम–51 (2) में उल्लिखित अनुज्ञाओं यथा ईट निर्माण हेतु मिट्टी के खुदान, साधारण मिट्टी का खुदान एवं जल विद्युत परियोजना के निर्माण की टनल आदि से निकलने वाले उपयोगी उपखनिजों, जिनका व्यवसायिक/परियोजना निर्माण में उपयोग किया जायेगा, के सम्बन्ध में अध्याय–2 के नियम–7 में गठित समिति के द्वारा स्थलीय जांच/निरीक्षण किया जायेगा। गठित समिति की उक्त

जांच आख्याओं के आधार पर सम्बन्धित जिलाधिकारी अनुज्ञा पत्र देने से इन्कार कर सकता है या ऐसी शर्त और निर्बन्धनों के अधीन जो आवश्यक समझें, प्रार्थित क्षेत्र के कुल या कुछ भाग के लिये एक नियत अवधि हेतु अनुज्ञा दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे क्षेत्र के लिये, जो पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र के अधीन पहले से धृत है, अनुज्ञा पत्र दिये जाने के लिये कोई प्रार्थना पत्र समय से पूर्व समझा जायेगा और उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया है, तो उसे वापस नही किया जायेगा।

4. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भवनों के बेसमेन्ट से निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल को रखने की व्यवस्था यदि भवन स्वामी के पास नहीं है और वह उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करता है तो उसे रखने हेतु स्थानीय प्रशासन की अनुमति से सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा घोषित डम्पिंग जोन में संरक्षित किया जायेगा, जिसका उपयोग भविष्य में मैदान/हैलीपैड आदि बनाने में किया जायेगा। यह प्रक्रिया केवल स्वयं के भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल पर ही लागू होगी, इस हेतु रायल्टी व अन्य कर देय नहीं होंगे। डम्पिंग जोन के अतिरिक्त साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल का अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का जिला खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा तथा तदोपरान्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा उक्त उपखनिज के अन्यत्र परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

4. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, जिप्सम आदि के स्वीकृत खदानों से ओवरबर्डन (Over burden) के रूप में निकलने वाले वेस्ट मैटिरियल (Waste Material) को विभागीय रसायन प्रयोगशाला की विश्लेषण आख्या के आधार पर वेस्ट मैटिरियल (Waste Material) होने पर अन्यत्र परिवहन हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, जिस हेतु नियमानुसार रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा।

5. सरकारी निर्माण इकाईयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, सिंचाई विभाग, डी0जी0बी0आर(ग्रेफ), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आदि द्वारा सड़क, पहुंच मार्ग आदि बनाये जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि के निर्माण कार्य उपयोग हेतु अग्रिम रॉयल्टी को जमा कराये जाने तथा वांछित प्रपत्रों को निर्गत करने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी अधिकृत होंगे।

54–स्वामित्व का जमा किया जाना :–

(1) जब नियम 53 के अधीन खनन अनुज्ञा पत्र दिये जाने का आदेश दे दिया जाय, तब प्रार्थी आदेश की संसूचना दिये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, उक्त आदेश के अनुज्ञात खनिज की कुल मात्रा के लिये नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्काल विनिर्दिष्ट दर पर एक मुश्त स्वामित्व अग्रिम रूप से जमा करेगा। यदि अनुज्ञापत्र धारक किसी कारण से, जो उसके द्वारा हुआ माना जाय, अनुज्ञात

समय के भीतर खनिज को नहीं हटा लेता है तो स्वामित्व के रूप में जमा कोई धनराशि वापस नही की जायेगी।

(2) यदि प्रार्थी उपनियम (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर या ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर, जैसी अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा दी जाये, स्वामित्व जमा करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने वाला आदेश प्रतिसंहृत (रद्द) हो जायेगा और नियम 52 के खण्ड (एक) में उल्लिखित फीस राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगी।

55– खनन अनुज्ञा–पत्र का जारी किया जाना :–

प्रार्थी को खनन अनुज्ञा–पत्र प्रपत्र एम0एम0 10 में ऐसी अतिरिक्त निर्बन्धनों और शर्तों के साथ, जिनके अधीन नियम 53 में आदेश दिये जाय, नियम 54 के उपनियम (1) में स्वामित्व जमा करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर जारी कर दिया जायेगा और इस प्रकार जारी अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक तक या ऐसे दिनांक तक, जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाय, इसमें से जो भी पहले हो, वैध रहेगा।

56– खनन अनुज्ञा–पत्रों का रजिस्टर :–

खनन अनुज्ञा–पत्रों के सभी प्रार्थना–पत्रों का एक रजिस्टर जारी किये गये अनुज्ञा–पत्रों के ब्यौरे के साथ प्रपत्र एम0एम0–9 में खनन अनुज्ञा–पत्र देने के लिये प्राधिकृत अधिकारी/जिला खान अधिकारी के कार्यालय में रखा जायेगा।

अध्याय–7
उल्लंघन अपराध और शक्तियां

57– अनधिकृत खनन के लिये शक्ति :–

(1) जो कोई भी नियम–3 के उपबन्धों का उल्लंघन करे व दोष सिद्व हो जाने पर प्रथम बार में अवैध उत्खनित खनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का 02 (दो) गुना तथा तत्पश्चात् रॉयल्टी का 03 (तीन) गुना तक के समतुल्य धनराशि वसूल की जायेगी।

(2) अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम के लिए निदेशालय स्तर पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की अध्यक्षता में प्रवर्तन दल का गठन किया जायेगा, जिसके द्वारा अवैध खनन की शिकायत प्राप्त होने पर या समय–समय पर आकस्मिक छापेमारी सुनिश्चित की जायेगी।

(3) अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सम्यक नियम/आदेश जारी किये जायेंगे।

(4) अवैध खनन की रोकथाम हेतु निदेशालय स्तर से माईनिंग सर्विलांस सिस्टम लागू किया जायेगा।

(5) अवैध खनन की पुष्टि के कारणों को उल्लिखित करते हुए निदेशालय को सम्बन्धित पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक/भण्डारणकर्ता आदि का ई–रवन्ना पोर्टल को लिखित सूचना देने के उपरान्त निलम्बित (Suspend) करने एवं नियमानुसार अन्य कार्यवाही किये जाने का अधिकार होगा।

58– स्वामित्व, भाटक या अन्य देयों को भुगतान न करने के परिणाम :–

(1) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी पट्टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात कि वह सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व (रायल्टी) सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनराशि या अपरिहार्य भाटक (स्वस्थानें चट्टानों हेतु) का भुगतान करें, यदि उस भुगतान के लिये निश्चित दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उसका भुगतान न किया हो, तो खनन पट्टा समाप्त कर सकता है। यह अधिकार पट्टेदार से ऐसे देयो को भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त होगा और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इस नियमावली के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपनियम (1) के अधीन सूचना की अवधि की समाप्ति के पश्चात इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार को देय किसी भाटक, स्वामित्व, सीमाकन शुल्क और किन्ही अन्य देयों पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जा सकता है।

59– कतिपय शर्तों का उल्लंघन करने के परिणाम :–

खनन पट्टाधारण करने वाला कोई पट्टेदार नियमों में व्यवस्थित किन्ही शर्तो को भंग करें, दोष सिद्ध हो जाने पर अर्थदण्ड से, जो रू0 2.00 (दो) लाख रुपये तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा।

60– सामान्यतः नियमों और पट्टे की शर्तो के उल्लंघन का परिणाम :–

(1) पट्टेदार द्वारा नियमों या पट्टे में दी गई समझी जाने वाली शर्तो और प्रसंविदाओं के सिवाय उनके, जो स्वामित्व, भाटक या राज्य सरकार को देय अन्य धनराशियों के भुगतान से सम्बन्धित हो, भंग या उल्लंघन किये जाने की दशा में राज्य सरकार पट्टेदार को अपना मामला बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात पट्टा समाप्त कर सकती है। यह अधिकार नियम 59 के उपबंधों के अतिरिक्त होगा और इसका उस पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा।

(2) यदि उप नियम (1) के अधीन पट्टा समाप्त कर दिया जाता है तो पट्टेदार का नाम निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा पांच वर्ष से अनाधिक ऐसी अवधि के लिए, जैसा उचित समझा जाय, काली सूची में डाल दिया जायेगा और ऐसी अवधि के दौरान उसको इस नियमावली के अधीन कोई खनिज परिहार पर स्वीकृत नही किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यथास्थिति खनन पट्टे के रजिस्टर में या ई–नीलामी रजिस्टर के अभ्युक्ति वाले स्तम्भ में एक प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

अध्याय– 8
विविध

61– प्रत्यक्ष अशुद्धियों को ठीक करने का अधिकार :–

राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा इस नियमावली के अधीन दी गई किसी आज्ञा में कोई लिपिक या अंकीय अशुद्धि यथास्थिति राज्य सरकार, सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा ठीक की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी आज्ञा, जो किसी व्यक्ति के लिये हानिकार हो, तब तक न दी जायेगी जब तक कि उसे अपना मामला बताने के लिये समुचित अवसर न दिया गया है।

62– रजिस्टरों का निरीक्षण करने दिया जायेगा :–

(1) इस नियमावली द्वारा रखे जाने वाले नियुक्त सभी रजिस्टरों को प्रत्येक प्रविष्टि के लिये पांच सौ रूपये का शुल्क भुगतान करने पर निरीक्षण करने दिया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट रजिस्टरों की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करने पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है :

(क) सात दिन के भीतर प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये 1000.00 रूपये और।

(ख) चौबीस घन्टे के भीतर प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये 5000.00 रूपये ।

स्पष्टीकरण :– (1) "प्रविष्टि" का तात्पर्य यथास्थिति एक अनुज्ञा पत्र या एक खनन पट्टा या एक ई–नीलामी पट्टा के सम्बन्ध में समस्त प्रविष्टियों से है।

स्पष्टीकरण :–(2) शुल्क का भुगतान नियमों में निहित रीति से किया जायेगा और यथास्थिति निरीक्षण के लिये प्रार्थना पत्र या प्रमाणित प्रतिलिपि के लिये प्रार्थना पत्र के साथ ट्रेजरी चालान लगाना होगा।

63– नाम, राष्ट्रिकता आदि में परिवर्तन की सूचना दी जायेगी :–

खनन पट्टे का प्रार्थी या उसका धारक राज्य सरकार के साठ दिन के भीतर प्रत्येक ऐसे परिवर्तन की सूचना देगा जो उसके नाम, राष्ट्रिकता या संगत प्रपत्रों में उल्लिखित अन्य विवरणों में किया जायेगा।

64– शुल्कों और जमा का भुगतान कैसे किया जायेगा :–

इस नियमावली के अधीन देय किसी धनराशि का भुगतान ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा राज्य सरकार तदर्थ निर्दिष्ट करें।

65– छात्रों के प्रशिक्षण के लिये सुविधायें :–

(1) खनन का प्रत्येक स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित खनिकर्म एवं भूतत्व सम्बन्धी संस्थाओं के छात्रों को उनके द्वारा चलायी जाने वाली खानों और संयंत्रों का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति देगा और ऐसे छात्रों से प्रशिक्षण के लिये अपेक्षित सभी आवश्यक सुविधायें देगा।

(2) खनिकर्म या भूतत्व शास्त्र की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के छात्रों के प्रशिक्षण के लिये प्रार्थना पत्र खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक को उक्त संस्थाओं के आचार्य या प्रधान के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। खान के किसी स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने से इनकार करने के मामले महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड को अभिदिष्ट किये जाने चाहिये।

66– निर्धारण करने, प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार :–

(1) किसी खान का परित्यक्त खान की रायल्टी का निर्धारण करने और उसकी वास्तविक या भावी कार्य की स्थिति की जांच करने के लिये या इस नियमावली के सम्बद्ध किसी प्रयोजन के लिये जिलाधिकारी या भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के ऐसे अधिकारी, जो निदेशक द्वारा इस योजना के लिये नियुक्त खान निरीक्षक के पद से नीचे के पद के न हों या राज्य सरकार की सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारीः–

(क) किसी खान में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है।

(ख) किसी ऐसी खान का सर्वेक्षण कर सकता है और माप सकता है।

(ग) किसी खान में पड़े हुये खनिज स्टाक को तौल सकता है, उसे माप सकता है या उसकी नाप ले सकता है।

(घ) किसी ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख का परीक्षण कर सकता है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे या अधिकार में हो, जिसका किसी खान पर नियन्त्रण हो या जो उससे सम्बद्ध हो और उस पर पहचान के चिन्ह लगा सकता है और ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख से उद्धरण ले सकता है या उसकी प्रतियां तैयार कर सकता है।

(ङ) खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख को समन कर सकता है या उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता है।

(च) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका किसी खान पर नियंत्रण हो या जो उससे संबद्ध हो, समन कर सकता है या उसका निरीक्षण कर सकता है, और

(छ) ऐसी सूचना का विवरण मांग सकता है, जो आवश्यक समझी जाये।

परन्तु राज्य सरकार की सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत राजस्व विभाग का अधिकारी, जो नायब तहसीलदार के पद से नीचे के पद का न हो (जिनके द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से खनन से सम्बन्धित कार्यों का कम से कम 01 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त कर निदेशक से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो), भी इस निमित्त अधिकृत होंगे। सम्बन्धित द्वारा अवैध खनन की मात्र जांच कर अपनी रिपोर्ट सक्षम अधिकृत स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा और प्रत्येक व्यक्ति से जो उक्त उपनियम के खण्ड (ङ) या खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के आधार पर कोई आज्ञा या समन जारी किया जाय, यथास्थिति, ऐसी आज्ञा या समन का अनुपालन करने के लिये विधितः बाध्य होगा।

67– भूमि के स्वामी द्वारा खनन संक्रियाये पर कोई निर्बन्धन आदि आरोपित नही किया जायेगाः –

(1) कोई भी व्यक्ति, जिसे खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि से किसी भी रूप में अधिकार प्राप्त हो, ऐसी भूमि के पट्टा या खनन अनुज्ञा पत्र धारक खनन संक्रियाओं पर कोई

प्रतिशोध या निर्बन्धन आरोपित करने या उपखनिज पट्टा हटाने के लिये अधिमूल्य (प्रीमियम) या स्वामित्व के रूप में कोई धनराशि मांगने पर हकदार न होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा व्यक्ति भूमि के धरातल की खनन संक्रियाओं के लिए उपयोग करने हेतु खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा पत्र के उक्त धारक से ऐसा वार्षिक प्रतिकर पाने का हकदार होगा, जो उनके बीच तय हों।

(2) जहां खनन पट्टा अनुज्ञा–पत्रधारक और भूमि की सतह के स्वामी वार्षिक प्रतिकर की धनराशि पर सहमत न हो और उसके सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो जिला अधिकारी द्वारा उसका अवधारण निम्नलिखित रूप से किया जायेगा:–

(क) कृषि योग्य भूमि की दशा में प्रतिकर की धनराशि उसी प्रकार की भूमि में विगत तीन वर्षों में की गई खेती से प्राप्त वार्षिक औसत शुद्ध आय के आधार पर निकाली जायेगी। प्रतिकर की धनराशि वार्षिक औसत शुद्ध आय के पांच गुना से अधिक नहीं होगी।

(ख) गैर कृषि योग्य भूमि की दशा में वार्षिक प्रतिकर की धनराशि उसी प्रकार की भूमि के विगत तीन वर्षों के वार्षिक भाटक मूल्य के आधार पर निकाली जायेगी। प्रतिकर की धनराशि वार्षिक भाटक मूल्य के पांच गुना से अधिक नहीं होगी।

(ग) यदि खनन कार्य से कोई आवासीय भवन/गौशाला/दुकान आदि क्षतिग्रस्त होते हैं, तो राजस्व विभाग के द्वारा लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता से आंकलन कराते हुए तैयार किये गये वास्तविक आंकलित मूल्य के अनुसार प्रतिकर की धनराशि पट्टाधारक के द्वारा प्रभावित व्यक्तियों/संस्थाओं को दी जायेगी।

68– विशेष मामलों में नियमों का शिथिल किया जाना :–

राज्य सरकार किसी भी मामले में यदि उसकी यह राय हो कि खनिज विकास के हित में लिखित आज्ञा द्वारा और उन कारणो से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसा करना आवश्यक है, इस नियमावली में निर्धारित शर्तों और प्रतिबन्धों से भिन्न शर्तों और प्रतिबन्धों पर किसी खनिज को लब्ध करने के लिये खनन पट्टे/खनन अनुज्ञा को देने या किसी खान का कार्य करने का प्राधिकार दे सकती है।

69–स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार/निविदाकार के माध्यम से वसूल किया जा सकता है :–

(1) सरकार, खनन पट्टे के धारकों से स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार द्वारा वसूल किये जाने का प्रबन्ध कर सकती है और ऐसे धारक, जब राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाये, स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक का भुगतान अपने पट्टे में निर्दिष्ट दरों पर उक्त ठेकेदारों/निविदाकारों को ऐसी अवधि के भीतर करेंगे, जो निदेशित की जाये।

(2) खनन पट्टे के धारक द्वारा चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार या यथास्थिति स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक भुगतान न करने के वही परिणाम होंगे, जो राज्य सरकार को भुगतान करने के होते हैं और उस दशा में राज्य सरकार को पट्टेदार से बकाया की वसूली करने तथा पट्टे को समाप्त करने के सम्बन्ध में ऐसे सभी अधिकार होंगे, जो इस नियमावली में व्यवस्थित हैं।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति के साथ, जो उपयुक्त समझा जाये, पाँच वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये निर्दिष्ट क्षेत्र में खनन पट्टो के धारकों से स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक वसूल करने के लिये नीलाम करके या टेण्डर आमंत्रित करके या ई–टेन्डर/ई–निलामी या किसी अन्य रीति से ऐसी शर्तें और प्रतिबन्धों पर अनुबन्ध कर सकती है, जो उपयुक्त समझी जाये। ठेकेदार/निविदाकार के चयन के लिए अर्हता एवं नीलामी प्रक्रिया के मापदण्डों का निर्धारण हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा पृथक से निविदा प्रपत्र तैयार कर शासन से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

(4) उपरोक्तानुसार चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल उपलब्धता वाले रिवर उपखनिज क्षेत्रों मे खनन पट्टा, नियमावली के अध्याय–2 के अनुसार दिये जाने मे प्राथमिकता दी जायेगी।

(5) चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को अनुबन्ध के अन्तर्गत दिये गये दायित्वों के निर्वहन एवं अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण की रोकथाम हेतु विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल का अवलोकन किये जाने हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय से अनुरोध करने पर अनुमति प्रदान की जा सकती है।

70– खनिज के परिवहन पर निर्बन्धन :–

(1) खनिजों के परिवहन हेतु पट्टाधारक/अनुज्ञाधारकों को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के ई–रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

(2) खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र धारक या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति, किसी गाड़ी, पशु या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा उपखनिज का परिषण (कन्साइनमेंट) कर ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ई–रवन्ना प्रपत्र एम०एम० 11 में पास जारी करेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर रेल को छोड़कर, पशु, गाडी या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा कोई उपखनिज उपनियम (1) के अधीन ई–रवन्ना प्रपत्र एम०एम० 11 में तथा राज्य के बाहर ई–रवन्ना प्रपत्र–11 "ओ एस" में जारी पास के बिना नही ले जायेगा, परन्तु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को विशेष परिस्थितियों में ई–ट्रांजिट पास (ई–रवन्ना प्रपत्र एम०एम०–11 एवं ई–रवन्ना प्रपत्र–11 "ओ एस") के ऑनलाईन जनरेशन (Online generation) के उपयोग हेतु छूट प्रदान करने का अधिकार होगा। ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों हेतु जिनमें ऑनलाईन ई–ट्रांजिट पास (ई–रवन्ना प्रपत्र एम०एम०–11 एवं ई–रवन्ना प्रपत्र–11 "ओ एस") के उपयोग को छूट प्रदान किया जायें, खनिजों के परिवहन हेतु मैनुअल ट्रांजिट पास (रवन्ना प्रपत्र एम०एम०–11 एवं रवन्ना प्रपत्र–11 "ओ एस") का उपयोग किया जा सकेगा।

(4) किसी उपखनिज को ले जाने वाला व्यक्ति, नियम 68 के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगने पर उक्त "पास" को ऐसे अधिकारी को दिखायेगा और उसे उप खनिज की मात्रा के संदर्भ में "पास" के विवरणों की शुद्धता को सत्यापित करने देगा।

(5) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु खनन पट्टा या अनुज्ञा पत्र में सम्मिलित किसी क्षेत्र के लिये जांच चौकी (चेक पोस्ट)/मोबाईल चैक पोस्ट स्थापित कर सकता है और जब ऐसी जांच चौकी स्थापित कर दी जाय तो इस तथ्य की सार्वजनिक सूचना

गजट में प्रकाशित करके और ऐसी अन्य रीति से दी जायेगी, जैसा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उपयुक्त समझें।

(6) कोई व्यक्ति, ऐसे उपखनिज का, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो, परिवहन ऐसे क्षेत्र से उस क्षेत्र के लिये स्थापित जांच चौकी पर खनिज के प्रकार या माप के सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये बिना नही करेगा।

(7) खनिज का अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(8) कोई व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में यह पाया जाय कि उसने इस नियम का उल्लंघन किया है, दोष सिद्ध हो जाने पर अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो रू0 2.00 (दो) लाख रूपये तक हो सकता है।

(9) अवैध परिवहन या ई-रवन्ना प्रपत्रों का दुरूपयोग पाये जाने पर निदेशालय को सम्बन्धित पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक/भण्डारणकर्ता आदि का ई-रवन्ना पोर्टल बिना पूर्व सूचना के अस्थाई रूप से निलम्बित (Suspend) करने एवं नियमानुसार अन्य कार्यवाही किये जाने का अधिकार होगा।

71-प्रतिनिधान :

जब राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य कोई भी अधिकार किन्ही ऐसे विषयों के सम्बन्ध और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाय, राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किये जा सकते हैं, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाये।

72- पुनः स्वीकृति के लिए क्षेत्र की उपलब्धता का अधिसूचित किया जाना:-

(1) निजी नाप भूमि को छोडकर यदि कोई क्षेत्र जो अध्याय-2 के अन्तर्गत खनन पट्टा के अधीन धृत था या अधिनियम की धारा 17-क के अधीन आरक्षित था, पुनः खनन पट्टे पर दिये जाने के लिए उपलब्ध हो जाता है, तो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म नोटिस के माध्यम से उस क्षेत्र की उपलब्धता अधिसूचित करेगा, जिसमें दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, जो नोटिस के दिनांक से तीस दिन पहले का न होगा और ऐसे क्षेत्र का ब्यौरा होगा। खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र आमंत्रित करेगा और ऐसी नोटिस की प्रति उसके कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और एक-एक प्रति उस क्षेत्र के उप जिलाधिकारी व खान अधिकारी को भी भेजी जायेगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन खनन पट्टा दिये जाने के लिए प्रार्थना पत्र उक्त उप नियम में निर्दिष्ट नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक से सात कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त किये जायेंगे। यदि फिर भी किसी क्षेत्र के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या तीन से कम हो तो निदेशक अवधि को अग्रेत्तर सात कार्य दिवसों के लिये और बढा सकता है और यदि उसके पश्चात भी प्रार्थना पत्र की संख्या तीन से कम रहती है तो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उक्त उप नियम के अनुसार नये सिरे से क्षेत्र की उपलब्धता को अधिसूचित करेगा।

(3) ऐसे क्षेत्र का, जो पहले से किसी पट्टा के अधीन धृत है या नियम-20 के उप नियम (1) के अधीन अधिसूचित है या अधिनियम की धारा 17-क के अधीन आरक्षित है और जिसकी उपलब्धता उप नियम (1) के अधीन अधिसूचित नहीं की गयी है, खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र समय पूर्व

समझा जायेगा और उस पर विचार नहीं किया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया है तो उसे वापस कर दिया जायेगा।

73— विवरणियां (रिटर्न्स):

(1) इस नियमावली के अधीन खनिज परिहार धारक प्रत्येक माह के आगामी 07 तारीख तक प्रपत्र एम०एम०—12 में जिलाधिकारी और जिला खान अधिकारी को मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) जब कभी भी खनिज परिहार धारक उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल होता है तो यह रू0 5000.00 की शास्ति का भागी होगा।

74— अपराधों का संज्ञानः—

(1) कोई न्यायालय, जिला अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद जिसमें ऐसे अपराध के गठन करने वाले तथ्यों का उल्लेख होगा, के सिवाय इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नही लेगा।

(2) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई न्यायालय इस नियमावली के अधीन अपराध का विचार नहीं करेगा।

75— अपराधों का शमन :—

(1) इस नियमावली के अधीन—दण्डनीय किसी अपराध का शमन अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय या जिलाधिकारी द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत करें, राज्य सरकार को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, जैसी ऐसा अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, किया जा सकेगा :—

प्रतिबंध यह है कि केवल अर्थ दण्ड से दण्डन विभागीय किसी अपराध की दशा में, ऐसी धनराशि उस अपराध के लिये आरोपित की जा सकने वाली अधिकतम धनराशि से अधिक नही होगी।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन किसी अपराध को शमन किया जाता है, वहां इस प्रकार शमन किये गये अपराध के सम्बन्ध में अपराधी के विरूद्ध यथास्थिति कोई कार्यवाही या अग्रेत्तर कार्यवाही नही की जायेगी और अपराधों को, यदि अभिरक्षा में हो, तत्काल उन्मोचित कर दिया जायेगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन अपराध का शमन करने वाला अधिकारी एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें निम्नलिखित ब्यारों को दर्शाया जायेगा :—

(क) क्रम संख्या (वित्तीय वर्ष)

(ख) अपराधी का नाम और पता।

(ग) दिनांक और अपराध के ब्यौरे।

(घ) शमन धनराशि और उसके भुगतान का दिनांक।

(ड) दिनांक और मोहर सहित अधिकारी के हस्ताक्षर ।

76– पुलिस की सहायता:–

नियम 66 के अभिदिष्ट अधिकारी इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों के विधि सहमत प्रयोग के लिये स्थानीय पुलिस, की सहायता के लिये प्रार्थना पत्र कर सकता है और स्थानीय पुलिस, उक्त अधिकारी को इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सभी सम्भव सहायता देगी।

77– अपील :–

इस नियमावली के अधीन जिला अधिकारी या जिला खान अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध, ऐसा आदेश क्षुब्ध पक्षकार को संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर मण्डलायुक्त के यहां अपील की जायेगी।

78– पुनरीक्षण :–

राज्य सरकार किसी भी समय या तो स्वयं या आदेश की संसूचना के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिये जाने पर जिलाधिकारी, निदेशक या मण्डल आयुक्त द्वारा इस नियमावली के अधीन पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख मांग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे।

79– शुल्क :–

नियम 77 के अधीन अपील या नियम 78 के अधीन कोई प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम०एम० 13 में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ एक ट्रेजरी रसीद होगी, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि नियम 64 में विनिर्दिष्ट शीर्षक के अन्तर्गत राज्य सरकार के मद्दे बीस हजार रूपये का शुल्क विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जा चुका है।

आज्ञा से,
डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव।

प्रथम अनुसूची (देखें नियम–18)

खनिज	स्वामित्व (रायल्टी) की दरें (रू0 में)
1– चूना पत्थर	200.00 प्रति टन
2– मार्बल या मार्बलचिप्स (संगमरमर)	500.00 प्रति टन
3– ईट बनाने की मिट्टी	100.00 प्रति हजार ईट
4– शीरा (साल्ट पीटर)	6.00 प्रति कि0ग्रा0 या 600.00 प्रति कुन्तल
5– इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)– 1. सभी प्रकार के उप खनिजों से निर्मित (ग्रेनाइट को छोडकर) स्लैब्स अशलर सहित साईज्ड डायमेंशनल स्टोन (जिसकी कोई भी एक साईज 25 सेमी0 से अधिक हो) 2. मिल स्टोन व हथचक्की (सैण्डस्टोन क्वार्टजाईड)	 350.00 प्रति टन 500.00 प्रति टन
6– नदी तल से भिन्न खनन पट्टों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी एक साईज 25 सेमी0 से अधिक न हो), बजरी/मिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू	86.50 प्रति टन
7– ग्रेनाईट (साइज्ड) डायमेंशनल स्टोन	1000.00 प्रति घ0मी0
8– नदी तल में राजस्व/वन भूमि में खनन पट्टा हेतु उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो (निजी भूमि को छोडकर)	1. 8.50 प्रति कुन्टल (गौला नदी) 2. 8.00 प्रति कुन्टल (कोसी, दाबका नदी) 3. 7.00 प्रति कुन्टल (हरिद्वार एवं अन्य स्थान हेतु)
9– नदी तल/नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में खनन पट्टा हेतु उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	7.00 प्रति कुन्टल तथा रू0 7.00 प्रति कुन्टल अतिरिक्त रूप से
10– कार्यदायी संस्थाओं सहित समस्त प्रकार की खनन अनुज्ञाओं हेतु (साधारण मिट्टी की अनुज्ञा को छोडकर)	7.00 प्रति कुन्टल तथा रू0 7.00 प्रति कुन्टल अतिरिक्त रूप से
11– कंकड	200.00 प्रति टन
12– साधारण मिट्टी	50.00 प्रति टन
13– सिलिका सैण्ड	100.00 प्रति टन
14– डोलोमाईट	500.00 प्रति टन
15– बैराईट	250.00 प्रति टन
16– क्वार्टजाईट	100.00 प्रति टन
17– सोपस्टोन	1. निम्न श्रेणी – रू0 350.00 प्रति टन (Brightness 85 प्रतिशत से कम) 2. उच्च श्रेणी – रू0 450.00 प्रति टन (Brightness 85 प्रतिशत व उससे अधिक)
18– अन्य कोई खनिज जो ऊपर सूचित नहीं है	खनिमुख मूल्य का 20 प्रतिशत

द्वितीय अनुसूची (देखें नियम–19)

खनिज	अपरिहार्य भाटक (डेडरेन्ट) की वार्षिक दर (रू० में)
1– मार्बल या मार्बलचिप्स	40000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
2– चूना पत्थर लाईम स्टोन	40000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
3– नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी एक साईट 25 सेमी० से अधिक हो), बजरी /मिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू	40000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
4– नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	80000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष
5– साधारण मिट्टी (आर्डिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आर्डिनरी अर्थ)	25,000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष
6– खनिज सिलिका सैण्ड हेतु	6000.00 प्रति हैक्टे० प्रति वर्ष व तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
7– खनिज डोलोमाईट हेतु	20000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
8– खनिज क्वार्टजाईट हेतु	20000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
9– खनिज बैराईट	20000.00 प्रति एकड प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
10– खनिज सोपस्टोन हेतु	5000.00 प्रति हैक्टे० प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि) (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)

तृतीय अनुसूची

THIRD SCHEDULE

प्रपत्र एम. एम.–1

खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र (देखें नियम–5)

(चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

दिनांक.................................. 20...........

(समय).. बजे

(स्थान)..

(दिनांक).. को प्राप्त हुआ। सभी प्रकार से पूर्ण/अपूर्ण

(पाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से दिनांक.................................... को पूर्ण किया गया।

(पाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,

जनपद.............................

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अधीन खनन पट्टा दिया जाय।

2. उक्त नियमावली में नियम 6 के उपनियम (1)(क) के अधीन इस प्रार्थना पत्र के संबंध में देय आवेदन शुल्क .... रुपया जमा कर दिया गया है।

3. अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये है :–

(एक) प्रार्थी का नाम और पूरा पता..

(दो) क्या प्रार्थी गैर–सरकारी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या निकाय या संस्था है:......

(तीन) यदि प्रार्थी :–

(क) व्यक्ति विशेष है तो उसकी राष्ट्रिकता ....

(ख) निजी कम्पनी है तो कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता और उसके निबंधन (रजिस्ट्रेशन) का स्थान

(ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो निदेशकों की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंशपूंजी का प्रतिशत तथा उसके निगमन का स्थान.......................................

(घ) फर्म या निकाय या संस्था है तो फर्म के सभी भागीदारों या निकाय या संस्था के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता.......................................

(चार) प्रार्थी का व्यवसाय या कारोबार.................................

(पांच) खनिज जिसे/जिन्हें प्रार्थी खनन करना चाहता है.................................

(छः) अवधि, जिसके लिये खनन पट्टा अपेक्षित है.................................

(सात) उस क्षेत्र का ब्यौरा, जिसके संबंध में खनन पट्टा अपेक्षित है:–

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	क्या रिक्त है/किसी के द्वारा धृत हैं और यदि धृत हैं तो उसका ब्यौरा।
1	2	3	4	5	6	7

(आठ) निम्नलिखित के संबंध में विशेष उल्लेख के साथ क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण :–

(क) प्राकृतिक आकृतियां, ऐसे स्रोत आदि के उल्लेख के साथ क्षेत्र की स्थिति।.................................

(ख) वन क्षेत्रों की दशा में, कार्यवृत्त (वर्किंग सर्किल) का नाम, वन (रजि) और पातन श्रेणी (फेलिंग सीरीज); यदि कोई हो, वन में ज्ञात और सीमांकित क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्र का विवरण तथा विस्तार (लगभग)।.................................

(ग) भू–कर सर्वेक्षण (कैडेस्ट्रल सर्वे) के अन्तर्गत न आने वाली क्षेत्र की दशा में, धरातल मानचित्र (टोपो मैप) में निश्चित स्थानों के अभिदेश में क्षेत्र के प्रारम्भिक स्थान (Starting Point) विवरण और सीमा रेखा की रैखीय दूरियां और उनकी 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने के धरातल मानचित्र में दिये गये क्षेत्र के तद्नुरूप यथासम्भव ठीक–ठीक दिकस्थिति (बियरिंग)।.................

(घ) मानचित्र पर कम से कम दो स्थायी अभिदेश बिन्दु अवश्य दर्शाया जाना चाहिये.................................

(नौ) राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर, खनिजवार ऐसे क्षेत्रों के विवरण :–

(क) जिन्हें प्रार्थी या कोई व्यक्ति, जो उसके साथ स्वत्व में संयुक्त (ज्वाइन्ट इन्टरेस्ट) हो, पट्टे के अधीन पहले से धारण किये हो;.................................

(ख) जिसके लिये उसने पहले से ही प्रार्थना पत्र दिया हो किन्तु स्वीकार न किया गया हो;.............

(ग) जिसके लिये एक साथ ही प्रार्थना पत्र दिया जा रहा हो;.................................

(दस) संयुक्त स्वत्व का प्रकार, यदि कोई हो ....

(ग्यारह) रीति, जिसके अनुसार संग्रह किये गये खनिज का उपयोग किया जायेगा, यदि प्रार्थी आवेदित खनिज का उद्योग स्थापित करना चाहता हो, या उसने पहले से ही स्थापित किया हो उसका पूर्ण विवरण और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिये।.................................

(बारह) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन.................................

(तेरह) अन्य वांछित अभिलेख जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये जायेंगे:–

(क) उपयुक्त बिन्दु–2 पर उल्लिखित धनराशि के लिए संलग्न रसीद वाले ऑनलाइन पेमेंट गेट–वे रसीद/कोषागार चालान आदि के विवरण।.................................

(ख) भू–कर सर्वेक्षण मानचित्र की राजस्व विभाग से चार सत्यापित प्रतियां।.......................................

(ग) खसरा खतौनी की राजस्व विभाग से सत्यापित प्रतियां।.......................................

(घ) खनन देय बकाया न होने का जिला खान अधिकारी द्वारा जारी किया गया अद्यतन खनन अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये। यदि प्रार्थी द्वारा राज्य क्षेत्र के भीतर कोई खनन पट्टा या कोई अन्य खनिज परिहार धारित नहीं करता है या धारित नहीं किया था तो इस कथन का शपथ पत्र उक्त प्रमाण पत्र के स्थान पर दिया जाना चाहिये।.......................................

(ङ) आयकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति।.......................................

(च) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।.......................................

(छ) मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण की छायाप्रति।.......................................

(ज) जी०एस०टी० प्रमाण पत्र की प्रति।.......................................

(झ) हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति। ....

(ञ) यदि आवेदक को आवेदित क्षेत्र का सतही अधिकार प्राप्त नहीं है तो उसने खनन संक्रिया के लिये क्षेत्र के स्वामी की सहमति प्राप्त कर ली है? यदि सहमति प्राप्त कर ली है तो स्वामी की लिखित सहमति की राजस्व विभाग से सत्यापित प्रति.......................................

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण जिसके अन्तर्ग्रह्य यथार्थ नक्शे और प्रतिभूति जमा आदि हैं; देने को तैयार हूं/हैं, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों।

भवदीय

प्रार्थी/प्रार्थियों के हस्ताक्षर

स्थान ....

दिनांक.......................................

अवधेय :– (1) यदि प्रार्थना पत्र प्रार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाय तो अभिकरण–पत्र (पावर ऑफ एटार्नी) संलग्न किया जाना चाहिये।

(2) प्रार्थना पत्र केवल एक सहत खण्ड (ब्लाक) के लिये होना चाहिये।

प्रपत्र एम०एम०–1 (क)

(चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र (देखें नियम 5)

स्थान .... दिनांक .... को प्राप्त हुआ।

(पाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से दिनांक.................................... को पूर्ण किया गया ।

(पाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

सेवा में

जिला खान अधिकारी,

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,

जनपद.............................

महोदय,

मैं/हम उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियामवली, 2023 के अधीन अपने खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिये निवेदन करता हूँ/करते है। उक्त नियमावली के नियम–6(क) के अधीन देय रू0 .... (रूपया ....) का प्रार्थना पत्र शुल्क जमा कर दिया गया है। उक्त के सम्बन्ध में आपेक्षित विवरण नीचे दिये गये है:–

1. प्रार्थी का नाम और पूरा पता...................................
2. क्या प्रार्थी कोई गैर–सरकारी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या निकाय या संस्था है।..............................
3. यदि प्रार्थी :–
   (क) व्यक्ति विशेष है, तो उसकी राष्ट्रिकता....................................
   (ख) निजी कम्पनी है, तो कम्पनी के सभी सदस्यों के रजिस्ट्रीकरण के स्थान के साथ उसकी राष्ट्रिकता.....................................
   (ग) सार्वजनिक कम्पनी है, तो निदेशकों की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंशपूंजी का प्रतिशत तथा उसे निगमन के स्थान.......................................
   (घ) फर्म या निकाय या संस्था है तो सभी भागीदारों या संगत के सदस्यों की राष्ट्रिकता.......................
4. प्रार्थी/प्रार्थियों के व्यवसाय या कारोबार की प्रकृति
5. खनन देय बकाया न होने का जिला खान अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन अदेयता प्रमाण पत्र।
6. (क) खनन पट्टे का विवरण, जिसका नवीनीकरण वांछित है,.....................................
   (ख) पूर्व में स्वीकृत नवीनीकरण के ब्यौरे, यदि कोई हों,.......................................
7. अवधि जिसके लिये खनन पट्टे का नवीनीकरण अपेक्षित है...
8. क्या नवीनीकरण का आवेदन धृत पट्टे के सम्पूर्ण या उसके भाग के लिये किया गया है

(क) क्षेत्रफल जिसके नवीनीकरण के लिये आवेदन किया गया...
(ख) उस क्षेत्र का विवरण, जिसके नवीनीकरण के लिये आवेदन किया गया है (विवरण भूखण्ड के सीमांकन के लिये पर्याप्त होना चाहिये)...
(ग) धृत पट्टा क्षेत्र के मानचित्र का विवरण, जिसमें नवीनीकरण के लिये आपेक्षित क्षेत्र का स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया हो (संलग्न).......................................
(घ) विद्यमान या सृजि मलवे के विवरण यदि कोई हो.......................................

9. क्या प्रार्थी का उस भूमि के धरातल, जिसके खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिये उसने अपेक्षा की है, अधिकार है ?...

10. यदि उसको सतही अधिकार प्राप्त नहीं है तो उसने खनन संक्रिया के लिये क्षेत्र के स्वामी की सहमति प्राप्त कर ली है? यदि सहमति प्राप्त कर ली है तो स्वामी की लिखित सहमति प्रस्तुत की जायेगी।...... ....

11. शपथ पत्र द्वारा समर्थित प्रत्येक राज्य में खनिजवार क्षेत्र का विवरण जिस पर आवेदक या उसके साथ संयुक्त स्वत्व रखने वाला व्यक्ति :–..............................

(क) खनन पट्टे के अधीन पहले से धारित करता है,..
(ख) पहले ही आवेदन किया हो, किन्तु यह स्वीकार न किया गया हो, या...
(ग) साथ–साथ आवेदन कर रहा हो..

12. खनन योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :–
(क) क्षेत्र का मानचित्र जिसमें खनिज निकाय तथा खनिज स्थल या स्थलों का प्रकार और उनका विस्तार दर्शाया गया हो, जिसमें प्रथम वर्ष में उत्खनन किया जाना हो और उसका विस्तार, प्रार्थी द्वारा एकत्र किये गये पूर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित उत्खनन स्थल का विस्तृत ब्यौरा पट्टे की अवधि के लिये अनन्तिम खनन योजना..
(ख) क्षेत्र के भू–विज्ञान एवं अश्म–विज्ञान (Lithology) का ब्यौरा, शारीरिक श्रम और मशीन द्वारा खनन का विस्तार...
(ग) वार्षिक कार्यक्रम और वर्षानुवर्ष उत्खनन योजना...
(घ) क्षेत्र का नक्शा, जिसमें प्राकृति जल स्त्रोत, आरक्षित वन तथा अन्य वनों की सीमा और वृक्षों की संघनता, खनन क्रिया–कलाप का वन, भूमि और पर्यावरण, जिसमें वायु प्रदूषण भी सम्मिलित है, पर प्रभाव का आंकलन और वन रोपण भूमि–पुनरूद्धार, प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के प्रयोग की योजना के ब्यौरे दर्शाये गये हों।......................................

13. साधन, जिससे खनिज निकाला जाना है अर्थात शारीरिक श्रम द्वारा या यान्त्रिक या विद्युत युक्ति द्वारा.. ....

14. रीति जिसके अनुसार संग्रह किया गया खनिज उपयोग में लाया जायेगा:–
(क) भारत के विनियोग के लिये,...
(ख) विदेशों को निर्यात करने के लिये...
(ग) पूर्ववर्ती दशा में उन उद्योगों को, जिसके सम्बन्ध में यह अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट किया जायेगा पश्चातवर्ती दशा में, उन देशों का उल्लेख किया जाना चाहिये, जिनकी खनिज का निर्यात किया जायेगा का उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्या खनिज प्रक्रमण्ड के पश्चात निर्माण किया जायेगा या कच्चे रूप में...

15. विगत तीन वर्षों में उत्पादन का ब्योरा और आगामी तीन वर्षों के दौरान विकास के लिये अभिन्यास योजना सहित उत्पादन के लिये चरणबद्ध कार्यक्रम, यदि कोई हों, का उल्लेख किया जाना चाहिये।.....
....

16. विद्यमान उपलब्ध रेलवे परिवहन सुविधा और अतिरिक्त परिवहन सुविधा, यदि कोई अपेक्षित हों।..........
....

17. कोई अन्य विवरण जो प्रार्थी देना चाहते हों.......................................

मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करता हूँ/करते है कि ऊपर दिये गये विवरण सही है और मैं/हम पट्टा दिये जाने या उसका नवीकरण किये जाने के पूर्व आपके द्वारा अपेक्षित कोई अन्य ब्यौरा, जिसमें नक्शे भी है, देने का तत्पर हूँ/है।

भवदीय

प्रार्थी का हस्ताक्षर और पदनाम

स्थान ....

दिनांक.........................

अवधेय :– यदि प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है तो अभिकरण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये।

प्रपत्र एम0एम0–2

खनन पट्टों के लिये प्रार्थना पत्र का रजिस्टर देखें नियम 05(4) एवं नियम–17

1. क्रम संख्या.......................................
2. खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र का दिनांक...
3. दिनांक जब पाने वाले अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ...
4. यदि प्रार्थना पत्र पहले बार प्राप्त होने पर सभी प्रकार से पूर्ण न रहा तो वह दिनांक जब वह पूरा किया गया.......................................
5. प्रार्थी का नाम और पूरा पता...
6. उक्त व्यक्ति का ब्यौरा जिसके लिये प्रार्थना पत्र दिया गया हो :–
   (क) तहसील.......................................
   (ख) परगना.......................................
   (ग) ग्राम...
   (घ) प्लाट नं0...
   (ड) क्षेत्रफल...
7. भूमि का कुल क्षेत्रफल.......................................
8. उन खनिजों का विवरण जिन्हें प्रार्थी खनन करने का इच्छुक है.......................................
9. चालान संख्या और दिनांक सहित भुगतान किया प्रार्थना पत्र शुल्क और जमा किया गया प्रारम्भिक व्यय.......................................
10. उस अन्तिम आज्ञा की संख्या और दिनांक जब प्रार्थना पत्र निस्तारित किया गया.......................................
11. दी गई आज्ञा का संक्षिप्त विवरण.......................................
12. अभ्युक्तियां :...
13. जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर...

प्रपत्र एम0एम0–3

खनन पट्टे का आदर्श (Model) प्रपत्र (देखें नियम–13)

यह अनुबन्ध आज .... दिनांक .... को ....उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्य सरकार" कहा गया है, जिस पदावलि में यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती भी सम्मिलित समझे जायेंगें) एक पक्ष और

यदि पट्टेदार एक विशेष व्यक्ति हो : .... (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय) (जिसे आगे "पट्टेदार") कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगें) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार एक से अधिक यक्ति हो : .... (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय) जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगें) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म हो : .... (भागीदार का नाम) आत्मज .... निवासी .... जो सभी भारतीय भागीदारी अधिनियम, (1932 एक्ट संख्या 09) के अधीन निबन्धित फर्म (फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी में कारोबार कर रहे है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... नगर में . ... पर है। (जिन्हें आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उक्त समस्त भागीदार, उनके अपने–अपने दायाद, निष्पादक और विधिक प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझें जायेंगें) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार रजिस्ट्रीकृत कम्पनी हो : (कम्पनी का नाम) .... (अधिनियम जिसके अधीन निगमित है, के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... में है (पता) (जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगें) दूसरा पक्ष

चूंकि पट्टेदार/पट्टेदारों ने उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली 2023 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के अनुसार राज्य सरकार की निम्नलिखित अनुसूची के भाग–1 में वर्णित भूमि .... एकड के निमित्त खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र दिया है और उसने/उन्होनें राज्य सरकार के पास .... रूपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में तथा .... रू0 की धनराशि खनन पट्टे हेतु आरम्भिक व्ययों की पूर्ति के लिये जमा कर दी है।

यह इस बात का साक्ष्य है कि उपस्थापन पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उनमें दिये गये और पट्टेदार/पट्टेदारों की ओर से भुगतान किये जाने वाले पालन और सम्पादन किये जाने वाले, किरायों स्वामित्वों, प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को निम्नलिखित प्रदान और पट्टान्तरित करती है .... (यहां खनिज या खनिजों का

उल्लेख कीजिये) (जिन्हें आगे अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त खनिज" कहा गया है) की समस्त खानें, तल्प (Beds) संदरसीम्स (Viens) जो अनुसूची के भाग–1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थिति हो, पडी हो या हों, उन स्वतंत्रताओं या अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के साथ जिनको इसके सम्बन्ध में, उन निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग या उपयोग किया जायेगा, जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हो .... सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रतायें, अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेगें। दिनांक................ .... से .... वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों का एतद्द्वारा दिये गये और पट्टान्तरित ऐसे भू–गृहादि धारण करना, जिसमें खनिज निकलने लगे और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग–2 में उल्लिखित कई किरायों और स्वामित्वों का भुगतान उसमें विनिर्दिष्ट भिन्न–भिन्न समयों पर होने लगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा उक्त भाग में उपबन्धों के अधीन हो और पट्टेदार एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है/करते हैं और राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ प्रसंविदा करती है, जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्त है और एतद्द्वारा इसके साथ दिये गये पक्षों के बीच में परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग–3 में अभिव्यक्त है।

(ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग–1

इस पट्टे का क्षेत्रफल

पट्टे का स्थान और क्षेत्र : वह समस्त भू–खण्ड, जो जिला .... की तहसील .... ग्राम...................... के अन्तर्गत खसरा संख्या.............................. कुल क्षेत्रफल...............है0 है, जो कि. ....नदीतल/नदीतल से भिन्न स्थानों में स्थित है, जिसका चित्रण इसमें संलग्न नक्शे में किया गया और उसे रंजित (coloured) किया गया है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित हैः–

उत्तर में – ....

दक्षिण में – ....

पूर्व में – ....

तथा

पश्चिम में – ....

और जिसे एतद्द्वारा "उक्त भू–खण्ड" कहा गया है तथा जिसके जी0पी0एस0/डी0जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स निम्नवत हैः–

1–

2–

3–

4–

भाग–2

इस पट्टे द्वारा आरक्षित अपरिहार्य भाटक या पट्टा धनराशि का भुगतान करना– (1) पट्टेदार पट्टे के प्रत्येक वर्ष के लिये प्रत्येक खनिज के संबंध में, इस भाग के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट स्वस्थानें (In-Situ) चट्टान किस्म के खनिजों यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्र के लिए अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व की धनराशि, जो भी अधिक हो परन्तु दोनो का नही, का वार्षिक भुगतान करेगा तथा स्वस्थाने चट्टानो से भिन्न खनन क्षेत्रों यथा नदी तल एवं नदी तल से लगी भूमि में उपलब्ध उपखनिजों यथा बालू, बजरी, बोल्डर एवं आर०बी०एम० युक्त खनन पट्टा क्षेत्रों के लिए वार्षिक पट्टा धनराशि का भुगतान करेगा।

खनन पट्टे का धारक पट्टे की अवधि, जिसमें अपरिहार्य कारणवश (मा० न्यायालयों/एन०जी०टी० के आदेशों, केन्द्र/राज्य सरकार के शासनादेशों, महानिदेशक/निदेशक के आदेशों, जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में खनन/चुगान में असमर्थ रहता है, जिसमें पट्टाधारक की कोई गलती न हो, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी के द्वारा किये जाने पर उक्त बाधित अवधि के समतुल्य अवधि पट्टाधारक को प्रदान की जा सकेगी जिस पर रायल्टी की देयता तत्समय निर्धारित दर के अनुसार लागू होगी परन्तु यदि पट्टाधारक उक्तानुसार प्रदत्त अवधि लेने से इन्कार करता है तो पट्टाधारक बाधित अवधि हेतु आगणित अपरिहार्य भाटक के रूप में, ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जैसी इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राज्य सरकार द्वारा पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट की जायें। अपरिहार्य भाटक का आंगणन सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(2) स्वस्थानें चट्टान किस्म के खनिजों यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्र के लिए अपरिहार्य भाटक भुगतान करने की रीति : इस भाग के खंड (1) के उपबंध के अधीन रहते हुये पट्टे की अवधि में पट्टेदार राज्य सरकार को इस अनुसूची के भाग–1 में वर्णित और पट्टान्तरित (demised) भूमि के प्रति खनिज प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक निम्नलिखित दर/दरों पर या ऐसी संशोधित दर/दरों पर भुगतान करेगा/करेंगे जो पट्टेदार/पट्टेदारों को राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप से संसूचित किया जायेगा/किये जायेंगे:–

खनिज का नाम	प्रति एकड़ निश्चित किया गया अपरिहार्य भाटक	पट्टान्तरित भूमि का क्षेत्रफल	देय अपरिहार्य भाटक	एक वर्ष में देय कुल अपरिहार्य भाटक
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

- अपरिहार्य भाटक का राज्य सरकार के प्रति भुगतान पट्टा वर्ष के पूरा होने के एक माह के भीतर उस जिले के मुख्यालय के राजकीय कोषागार में, जिसमें धृत पट्टा स्थित हो, ऐसे लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा करके, जैसा कि समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रति वर्ष किया जायेगा।

(क) नदीतल एवं नदीतल से लगी भूमि में उपलब्ध उपखनिजों यथा बालू, बजरी, बोल्डर एवं आर०बी०एम० युक्त खनन पट्टा क्षेत्रों के लिए पट्टा धनराशि भुगतान करने की रीति : इस भाग के खंड (1) के उपबंध के अधीन रहते हुये पट्टे की अवधि में पट्टेदार राज्य सरकार को इस अनुसूची के भाग–1 में वर्णित और पट्टान्तरित (leased) भूमि में प्रतिवर्ष निकासी हेतु निर्धारित उपखनिज की मात्रा पर तत्समय निर्दिष्ट

स्वामित्वों की दर एवं अन्य देयकों के अनुसार आगणित पट्टा धनराशि को निम्नानुसार संसूचित किया जायेगा:–

• खनिज का नाम	उपखनिज की मात्रा टन में	स्वामित्व/रायल्टी की दर (रू0 प्रति टन)	अन्य देयकों की धनराशि (रू0 प्रति टन)	पट्टाधनराशि (रू0 में)
1	2	3	4	5 {2 x (3 + 4)}
1 2 3				

- पट्टाधनराशि का राज्य सरकार के प्रति भुगतान 09 मासिक समान किस्तों में (अक्टूबर से जून तक) अग्रिम रूप से विभागीय आनलाईन पेमेंट–गेटवे या राजकीय कोषागार में, जिसमें धृत पट्टा स्थित हो, ऐसे लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा करेगा, जैसा कि समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रति वर्ष किया जायेगा।

(3) अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व कटौती आदि मुक्त होंगे :– इस भाग में उल्लिखित अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व का भुगतान बिना किसी कटौती के राज्य सरकार को ऐसी रीति से किया जायेगा, जो राज्य सरकार विहित करें।

(4) स्वामित्व के संगणन की रीति :– उक्त स्वामित्वों के संगणन करने के प्रयोजनों के लिये पट्टेदार खान से संग्रह किये गये खनिज/खनिजों का और उसको/उनको भेजने की रीति का सही–सही लेखा रखेगा, जिसमें वह/वे परिवहन की प्रणाली, वाहन की निबंधन संख्या, वाहन के प्रभारी व्यक्ति, वाहन द्वारा परिवहन किये गये खनिज/खनिजों का विवरण और परिमाप का उल्लेख करेगा/करेंगे, जो ई–रवन्ना प्रपत्र एम.एम. 11 में पास जारी करेगा और ऐसे अन्य विवरणों का उल्लेख करेगा/करेंगे, जो राज्य सरकार का सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। नियम 68 के अधीन अधिकृत अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार नियमावली के अधीन समय–समय पर प्राधिकृत करें, स्टाक में रखे गये और निर्यात किये जाने वाले या ई–रवन्ना प्रपत्र एम.एम. 11 में उल्लिखित खनिज/खनिजों के लेखा उसके/उनके परिमाप की जांच कर सकता है। पट्टेदार प्रति वर्ष जिला अधिकारी और जिला खान अधिकारी कार्यालय को मासिक रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा और यदि विवरणी नियत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है तो पट्टेदार चूक के प्रत्येक अवसर पर रूपये 5000.00 (रू0 पांच हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान करेगा।

(5) ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0 11 निर्गत किया जाना :– पट्टेदार, जिला खान अधिकारी के कार्यालय में स्वीकृत पट्टे हेतु पंजीकरण कराकर ई–रवन्ना प्रपत्र एम.एम. 11, जैसा नियमावली के नियम 70(1) में अपेक्षित है, अग्रिम भुगतान करने पर प्राप्त करेगा/करेंगे।

(6) नियत समय पर भाटक, स्वामित्व आदि का भुगतान न करने पर कार्यवाही :– यदि पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा इस उपस्थापन पत्र के निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन किसी भाटक, स्वामित्व या राज्य सरकार को देय किसी अन्य धनराशि का भुगतान विहित समय के भीतर नहीं किया जाता है तो नियमावली के नियम–58 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भाग–3

सामान्य उपबन्ध

(1) नियमों, प्रसंविदाओं और शर्तों के भंग करने पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है : यदि पट्टेदार उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के किसी नियम या इस पट्टे की किसी प्रसंविदा और शर्त को भंग करे/करें तो राज्य सरकार पट्टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा को पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्टेदार/पट्टेदारों को उक्त शर्त भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिये युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा। यदि पट्टेदार यथास्थिति, इस नियमावली या इस पट्टे के अधीन किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से क्षुब्ध है तो वह/वे इस नियमावली के नियम 77 और 78 के अधीन अपील/पुनरीक्षण दायर कर सकता है।

(2) पट्टेदार, पट्टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा/हटायेंगे :– पट्टेदार इस उपस्थापन पत्र (प्रजेन्टेशन) के आधार पर देय किराये और स्वामित्वों का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर, उक्त अवधि की समाप्ति पर या उसके शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात तीन कलेण्डर मास के भीतर (जब तक पट्टा इस भाग के खण्ड (1) के अधीन समाप्त न कर दिया जाय और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के पश्चात कम से कम एक कलेण्डर मास में और अधिक से अधिक तीन कलेण्डर मास में) अपने लाभ के लिए ऐसी सभी या किसी इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनाओं और अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण (एरेक्शन्स) और अस्थायी आवास–स्थानों को उखाड़ सकता है/सकते हैं और हटा सकता है/सकते हैं, जो उक्त भूमि में या उस पर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा खनन किया गया हो, खड़े किये गये हों, स्थापित किये गये हों या रखे गये हों और जिन्हें पट्टेदार, राज्य सरकार को देने के लिये बाध्य नहीं है/हैं और जिन्हें राज्य सरकार खरीदने के लिये इच्छुक न हो।

(3) पट्टे की समाप्ति के पश्चात एक मास के अधिक समय तक छोड़ी गई सम्पत्ति की जब्ती :– यदि उक्त अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के पश्चात, तीन कलेण्डर मास के अन्त में, उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनाओं और अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण और अस्थायी आवास–स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके संबंध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात जिसमें जिला अधिकारी द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गई हो, एक कलेण्डर मास के भीतर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा न हटाये जायं, यह समझा जायेगा कि वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गई है और किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना या उसके संबंध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई हिसाब दिये बिना, उनकी बिक्री करके निस्तारण ऐसे रीति से किया जा सकता है, जो राज्य सरकार उचित समझे।

(4) ठेकेदार के माध्यम से स्वामित्व और अपरिहार्य भाटक की वसूली करना : यदि राज्य सरकार इस प्रकार निदेश दे, तो पट्टेदार इस उपस्थापन–पत्र द्वारा संरक्षित स्वामित्वों/पट्टा धनराशि/अपरिहार्य भाटक का भुगतान की वसूली करने वाले ठेकेदार को राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से ऐसी अवधियों में करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जायें।

(5) नोटिसें :– इस उपस्थान पत्र द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को दिए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस उक्त भूमि पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में दिया जाएगा, जिसे पट्टेदार ऐसी नोटिस प्राप्त करने के लिए नियुक्त करे/करें और यदि इस प्रकार कोई नियुक्ति न की गयी हो ऐसी प्रत्येक नोटिस पट्टेदार/पट्टेदारों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा पट्टे में उसके/उनके अभिलिखित पते पर या भारत में ऐसे अन्य पते पर भेजी जाएगी, जिसे पट्टेदार समय–समय पर लिखित रूप में राज्य सरकार को नोटिसों को

प्राप्त करने के लिए दे/दें और प्रत्येक ऐसी तामील पट्टेदार/पट्टेदारों पर उचित और वैध तामील समझी जाएगी और उसके सम्बन्ध में उसके/उनके द्वारा न तो आपत्ति की जाएगी और न उसे चुनौती दी जाएगी।

(6) शर्तें:–

1– पट्टेदार मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण/मा0 उच्च न्यायालय एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगा।

2– अन्य ऐसी शर्तें, जो जिला खान अधिकारी आवश्यक समझे उल्लिखित की जायेगी।

(7) स्टाम्प शुल्क :– स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित भूमि से पूर्वानुमानित स्वामित्व प्रतिवर्ष .... रूपये हैं। इसके साक्ष्य के रूप में उपस्थापन–पत्र एतद्धीन आयी हुई रीति के ऊपर उल्लिखित दिन और वर्ष को निष्पादित किया गया है।

उत्तराखण्ड के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से–

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर

1–

2–

पट्टेदार/पट्टाधारक के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर

1–

2–

प्रपत्र एम. एन. 4

खनन पट्टों का रजिस्टर– (देखें नियम 17)

1– क्रम संख्या ....

2– पट्टेदार का नाम ....

3– पट्टेदार का निवास स्थान और पूरा पता ....

4– प्रार्थना–पत्र का दिनांक ....

5– (क) पट्टा देने की आज्ञा की संख्या और दिनांक ....
(ख) खनन पट्टे के निष्पादन का दिनांक ....

6– भूमि का ब्यौरा ....

(क) तहसील ....

(ख) परगना ....
(ग) ग्राम ....
(घ) प्लाट नं. ....
(ङ) क्षेत्रफल ....

7– कुल क्षेत्र, जिसके लिए पट्टा दिया गया हो ....

8– खनिज जिसके/जिनके लिए पट्टा दिया गया हो ....

9– निश्चित अपरिहार्य भाटक ....

(क) खनिज ....
(ख) प्रति एकड़, अपरिहार्य भाटक ....
(ग) कुल अपरिहार्य भाटक ....
(घ) वार्षिक पट्टाधनराशि ....

10– पट्टा प्रारम्भ होने का दिनांक ....
11– अवधि, जिसके लिए पट्टा दिया गया हो ....

12– जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

13– ऐसे परिवर्तन के ब्यौरों के साथ परिवर्तन का दिनांक, जो खनन पट्टे धारक के नाम, राष्ट्रिकता या अन्य विवरण के सम्बन्ध में हो ....

14– पट्टे का परित्याग (relinquishment) या समाप्ति का दिनांक ....

15– अभ्युक्तियाँ ....

16– जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

प्रपत्र एम. एम. 5

नीलाम पट्टों के लिए विज्ञाप्ति क्षेत्रों का रजिस्टर–(देखें नियम 22)

नीलाम एवं निविदा पट्टे के लिए घोषित क्षेत्रों का रजिस्टर:

1– क्रम संख्या ....

2– क्षेत्र या क्षेत्रों की घोषणा का आदेश संख्या ....

3– घोषणा का दिनांक ....

4– तहसील ....

5– परगना (प्लांट) संख्या ....

6– ग्राम ....

7– गाटा (प्लांट) संख्या ....

8– क्षेत्रफल ....

9– जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

10– नीलामी एवं निविदा द्वारा पट्टा पर देने से वापस लेना ....

(क) आदेश संख्या ....

(ख) आदेश का दिनांक ....

(ग) जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

प्रपत्र एम.एम. 06

खनन के लिए नीलाम पट्टे का आदर्श प्रपत्र (देखें नियम 26)

यह अनुबन्ध आज .... दिनांक.......................... को उत्तराखण्ड के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्य सरकार" कहा गया है, जिस पर पदावधि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती भी समझें जायेगें), एक पक्ष और ....
....

. यदि पट्टेदार व्यक्ति विशेष हो : (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) (जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेगें) दूसरा पक्ष ....
....
....

यदि पट्टेदार एक से अधिक हो :– (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) तथा ....
....
.... (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) (जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेगें)
....

यदि पट्टेदार निबद्ध फर्म हो : (भागीदार का नाम और पता) आत्मज ....
निवासी .... आत्मज .... निवासी ....जो सभी इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 (एक्ट संख्या 9, 1932) के अधीन निबन्धित फर्म ....(फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी के कारोबार कर रहे हैं और जिसका निबद्ध कार्यालय ....नगर में .... पर है, (जिन्हें आगे "लाईसेन्सधारी" कहा गया है), (जिस पर पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उक्त समस्त भागीदार, उसके अपने–अपने दायाद, निष्पादक तथा विधिक प्रतिनिधि भी समझें जायेगें)

यदि पट्टेदार निबद्ध कम्पनी हो :
(कम्पनी का नाम) जो .... (एक्ट, जिसके अधीन निगमित है) के अधीन निबद्ध कम्पनी है और जिसका कार्यालय .... में है (पता) निबद्ध जिसको आगे "पटटेदार" कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उत्तराधिकारी भी समझें जायेगें) दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के अनुसार किये गये नीलाम के पट्टेदार/पट्टेदारों को बोली का .... रू0 (उच्चतम बोली की धनराशि) राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे के लिए .... वर्ष/वर्षो को निमित्त एतद्धीन लिखित अनुसूची के भाग–1 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में .... हैक्टेयर (स्वीकृत कुल क्षेत्रफल) के लिए स्वीकार कर लिया गया है और उसने/उन्होनें प्रतिभूति स्वरूप .... रूपये (उच्चतम बोली का पच्चीय प्रतिशत धनराशि) की धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जमा कर दी है।

यह इसका साक्ष्य है कि इस उपस्थापन–पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उसमें दिए गये और पट्टेदार/पट्टेदारों की ओर से भुगतान किए जाने वाले, पालन तथा सम्पादन किए जाने वाले

पट्टाधनराशि/स्वामित्वों प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को निम्नलिखित प्रदान और पट्टान्तरित करता है:–

.... (यहां खनिज/खनिजों का उल्लेख किया जाये) जिन्हें आगे और अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त" "खनिज" कहा गया है, की समस्त खनन तल्प (beds) संदर सीम्स (veins seams) जो उक्त अनुसूची के भाग–1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थित हो, के साथ, जिसके सम्बन्ध में उन प्रतिबन्धों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग या उपयोग किया जाएगा जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हों .... सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेंगें। दिनांक .... 20........... से .... वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों की एतद्दारा दिए गए और पदान्तरित ऐसे भू–गृहादि धारण करना, जिनसे खनिज निकलने लगें और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग–2 में उल्लिखित स्वामित्वों का भुगतान उसमें निर्दिष्ट भिन्न–भिन्न समयों पर होने लगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा उक्त भाग के उपबन्धों के अधीन हो और पट्टेदार एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है/करते है और राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ प्रसंविदा करती है, जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्ति है और एतद्द्वारा इसके साथ दिए गए पक्षों के बीच परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग–3 में अभिव्यक्ति है।

(ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग–1

इस पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान और क्षेत्र : वह समस्त भू–खण्ड, जो जिला .... की तहसील .... ग्राम...................... के अन्तर्गत खसरा संख्या.............................. कुल क्षेत्रफल.............. है0 है, जो कि..............................नदीतल में स्थित है, जिसका चित्रण इसमें संलग्न नक्शे में किया गया और उसे रंजित (coloured) किया गया है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित है:–

उत्तर में – ....

दक्षिण में – ....

पूर्व में – ....

तथा

पश्चिम में – ....

और जिसे एतद्द्वारा "उक्त भू–खण्ड" कहा गया है तथा जिसके जी0पी0एस0/डी0जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स निम्नवत है:–

1–

2–

3–

4–

भाग–2

इस पट्टे द्वारा संरक्षित पट्टाधनराशि

पट्टाधनराशि : (1) पट्टेदार, इस पट्टे की अवधि में राज्य सरकार को पट्टे पर दिए गये क्षेत्र के लिए निर्धारित वार्षिक निकासी की मात्रा ....टन के सम्बन्ध में निम्नलिखित पट्टाधनराशि का भुगतान करेगा/करेगें ....

किश्तों की संख्या	धनराशि	दिनांक – जब किश्त दिया जायेगा
1	2	3

पट्टाधनराशि कटौती आदि से मुक्त होगा : (2) इस भाग में उल्लिखित पट्टाधनराशि की किश्तों का अग्रिम भुगतान बिना किसी कटौतियों के राज्य सरकार को ....किश्तों में विभागीय पे–मेंट गेटवे/कोषागार में जमा करके किया जायेगा तथा जमा रसीद/चालान .... की एक प्रति जिला अधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को भेजी जायेगी।

पट्टाधनराशि का समय पर भुगतान न किया जाये तो कार्यवाही की प्रक्रिया : (3) यदि इस उपस्थापन– पत्र (presents) की शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन राज्य सरकार को देय पट्टाधनराशि की किसी किश्त का भुगतान पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा निर्धारित समय के भीतर न किया जाये तो उसे ऐसे अधिकारी के, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशिष्ट आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट करें, प्रमाण पत्र पर उसी रीति से वसूल की जा सकती है जैसा मालगुजारी का बकाया।

भाग–3

सामान्य उपबन्ध

नियमों प्रसंविदाओं और शर्तों को भंग करने पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है : (1) यदि पट्टेदार उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के किसी नियम या इस पट्टे की किसी प्रसंविदा तथा किसी शर्त का भंग करें तो राज्य सरकार पट्टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा की पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्टेदार/पट्टेदारों को उन्हें भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिए यथोचित अवसर दिया जायेगा।

पट्टेदार पट्टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा/हटायेंगें : (2) पट्टेदार इस उपस्थापन पत्र के आधार पर देय पट्टायनराशि का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर उक्त अवधि की समाप्ति पर उसकी शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात् तीन कलेण्डर मास के भीतर (जब तक कि पट्टा इस भाग के खण्ड–1 के अधीन समाप्त न कर दिया जाए और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के पश्चात कम से कम एक कलेण्डर मास में) और अधिक से अधिक तीन कलेण्डर मास में अपने लाभ के लिए ऐसी सभी या किसी मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनायें और अन्य निर्माण कार्य और अस्थाई आवास स्थानों (converiences) को उखाड़ सकता है/सकते हैं और हटा सकता है/सकते हैं, जो उक्त भूमि में या उस पर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा रखे गये हों।

पट्टे की समाप्ति के पश्चात् एक मास से अधिक समय से छोड़ी गयी सम्पत्ति की जब्ती :– (3) यदि उक्त अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के प्रभावी होने के पश्चात एक कलेण्डर मास के अन्त में उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनायें तथा अन्य निर्माण कार्य और अस्थाई आवास स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके सम्बन्ध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात जिसमें जिला खान अधिकारी द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गई हो एक कलेण्डर मास के भीतर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा न उठाये जायें, तो यह समझा जायेगा कि वह/वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गई है और किसी प्रतिकर का भुगतान किए बिना या उसके सम्बन्ध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई हिसाब दिए बिना उसकी बिक्री या निस्तारण ऐसी स्थिति से किया जा सकता है, जो राज्य सरकार उचित समझें।

शर्तें:–

1– पट्टेदार मा० उच्चतम न्यायालय/मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण/मा० उच्च न्यायालय एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

2– अन्य ऐसी शर्तें, जो जिला खान अधिकारी आवश्यक समझे, उल्लिखित की जायेंगी।

स्टाम्प शुल्क : (6) स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित भूमि से प्रत्याशित स्वामित्व प्रतिवर्ष रू० .... है।

इसके साक्ष्य के रूप में यह उपस्थापन पत्र एतद्धीन आई हुई रीति से ऊपर उल्लिखित दिनांक और वर्ष को निष्पादित किया गया है।

उत्तराखण्ड के राज्य के लिए और उनकी ओर से

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर

1–

2–

पट्टेदार/पट्टाधारक के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर

1–

2–

प्रपत्र–एम. एम. 7

नीलाम एवं निविदा पट्टा का रजिस्टर– (देखें नियम–27)

1– क्रम संख्या ....

2– भूमि का विवरण ....

(क) तहसील ....

(ख) परगना ....

(ग) ग्राम ....

(घ) गाटा (प्लांट) संख्या ....

(ङ) क्षेत्रफल ....

3– भूमि का कुल क्षेत्रफल ....

4– खनिज या खनिजों का नाम ....

5– पट्टेदार का नाम ....

6– पट्टेदार का पूरा पता ....

7– पट्टा प्रारम्भ होने का दिनांक ....

8– पट्टा अवसान होने का दिनांक ....

9– पट्टाधनराशि ....

10– अभ्युक्ति ....

11– जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

प्रपत्र–एम.एम. 8

खनन अनुज्ञा–पत्र के लिए प्रार्थना–पत्र (देखें नियम–52)

(तीन प्रतियों में देना है)

स्थान .... दिनांक ....20.................................

समय .... बजे

दिनांक .... को प्राप्त हुआ

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,

जनपद..............................

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली 2023 के अध्याय–6 के अधीन खनन अनुज्ञा–पत्र दिया जाये।

(2) इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में देय शुल्क .... रु. जमा कर दिया गया है।

(3) अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :–

(1) प्रार्थी का नाम और पूरा पता ....

(2)क्या प्रार्थी अशासकीय व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या संघ है..................

(3) यदि प्रार्थी:–

(क) व्यक्ति विशेष है, तो उसकी राष्ट्रीयता ....

(ख) निजी कम्पनी है तो कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रियता और उसके निबंधन का स्थान

(ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो निदेशकों की राष्ट्रीयता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंश पूंजी का का प्रतिशत तथा उसके निगमन का स्थान ....

(घ) फर्म या संघ है तो फर्म के सभी भागीदारों या संघ के सभी सदस्यों की राष्ट्रियता.........

(4) प्रार्थी का व्यवसाय या उसके कारोबार का प्रकार ....

(5) खनिज, जिसे/जिन्हें प्रार्थी खनन करना चाहता हो :

(क) खनिज का नाम ....

(ख) जितना खनन किया जाना हो उसकी कुल मात्रा ....

(6) अवधि जिसके लिए खनन अनुज्ञा– पत्र अपेक्षित है.................................

(7) उस क्षेत्र का ब्यौरा, जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञा–पत्र अपेक्षित है

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	क्या रिक्त है या किसी द्वारा धृत है और यदि धृत है तो उसके ब्यौरे
					ग्राम : क्षेत्रों की दशा में ग्राम का नाम और यदि ग्राम के केवल एक भाग के लिये प्रार्थना–पत्र दिया गया हो, तो खसरा (ग्राम) संख्या, प्रत्येक ऐसे खेत या उसके भाग का, जिसके लिये प्रार्थना–पत्र दिया गया हो, हेक्टर में क्षेत्रफल ....

(8) वन क्षेत्रों की दशा, में कार्यवृत्ति (वर्किंग सर्किल) का नाम, वनराजि (range) और पातन श्रेणियाँ (felling serise) यदि कोई हों, वन में ज्ञात और सीमांकित क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्षेत्र का विवरण तथा एकड़ों में विस्तार (लगभग)।

(9) भू–कर सर्वेक्षण के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की दशा में, धरातल मानचित्र में निश्चित स्थानों के हवाले से क्षेत्र के प्रारम्भिक स्थल का विवरण और सीमा–रेखा की रैखीय दूरियां और उसके धरातल मानचित्र में दिए गये क्षेत्र के तद्नुरूप यथासम्भव ठीक–ठीक दिक्स्थिति (4" = 1 मील पैमाना)।

(10) रीति जिसके अनुसार संग्रह किय गए खनिज का उपयोग किया जाएगा।

(11) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन।

(12) वांछित अभिलेख जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये जायेंगे:–

(क) ऊपर 2 पर उल्लिखित धनराशि के लिए संलग्न रसीद वाले ऑनलाइन पेमेंट गेट–वे रसीद/कोषगार चालान आदि के विवरण।

(ख) भू–कर सर्वेक्षण मानचित्र की चार सत्यापित प्रतियां।

(ग) खसरा खतौनी की सत्यापित प्रतियां।

(घ) अद्यतन खनन आदेयता प्रमाण पत्र जो सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो की प्रति।

(ङ) आयकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति।

(च) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।

(छ) मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण की छायाप्रति।

(ज) जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की प्रति।

(झ) हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दिए गये विवरण ठीक हैं और मैं/हम कोई अन्य ब्यौरे देने को तैयार हूं/हैं, जो आपके द्वारा अपेक्षित हैं।

स्थान ....

दिनांक ....

भवदीय,
प्रार्थी के हस्ताक्षर

अवधेय :– यदि प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जावें तो अभिकरण पत्र (power of Attorney) संलग्न किया जाना चाहिये।

प्रपत्र– एम.एम. 9

खनन अनुज्ञा–पत्रों के लिए प्रार्थना –पत्र का रजिस्टर –(देखें नियम–68)

(1) क्रम संख्या ....

(2) खनन अनुज्ञा–पत्र के लिए प्रार्थना–पत्र का दिनांक ....

(3) खनिज का नाम ....

(4) जिस क्षेत्र के लिए प्रार्थना–पत्र दिया गया हो:

(क) तहसील ....

(ख) परगना ....

(ग) ग्राम ....

(घ) प्लाट संख्या ....

(ङ) क्षेत्रफल ....

(5) जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

(6) अनुज्ञा–पत्र न देने या देने की आज्ञा का दिनांक

और जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

(7) यदि अनुज्ञा–पत्र दिया जाये तो उसके ब्यौरे :

(क) दिया गया कुल क्षेत्र :

(ख) अनुज्ञात खनिज की कुल मात्रा :

(ग) अवधि जिसके लिए दिया गया हो

(घ) कुल स्वामित्व की धनराशि

(ङ) चालान संख्या सहित स्वामित्व जमा करने का दिनांक

(च) अनुज्ञा–पत्र जारी करने का दिनांक

(छ) अनुज्ञा–पत्र की समाप्ति का दिनांक

(ज) जिला खान अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रपत्र – एम.एम. 10

खनन अनुज्ञा पत्र का आदर्श प्रपत्र (देखें नियम 55)

श्री/सर्वश्री .... को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 52 के अधीन ग्राम .... में .... (खनिज) का खनन करने के लिये अनुज्ञा–पत्र देने के निमित प्रार्थना–पत्र दिया है और रू0.............................. (रुपया ....) रुपये का प्रार्थना–पत्र शुल्क तथा .... रुपये प्रतिटन/घन मी0 की दर से स्वामित्व का भी रुपया .... अग्रिम भुगतान कर दिया है। एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित भूमि से .... टन/घन मी0 खनिज को, आज से ....मास अर्थात दिनांक................ से दिनांक .... की अवधि के भीतर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये हटाने की अनुज्ञा दी जाती है।

भूमि के ब्यौरे

तहसील	परगना	ग्राम	गाटा (प्लाट) संख्या	एकड़ में क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

स्थान :

दिनांक :

अनुज्ञा–पत्र देने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर और उसका पदनाम।

शर्तें :

(1) अनुज्ञा–पत्र धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चित करेगा।

(2) अनुज्ञा–पत्र धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू–गृहादि, सार्वजनिक भू–स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े या उसे क्षति न पहुंचे।

(3) अनुज्ञा–पत्र धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और तदर्थ नियुक्त प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

दिनांक :

अनुज्ञा–पत्र देने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर और उसका पदनाम।

Geology & Mining Department

Uttarakhand

Uttarakhand minor mineral (concession) rules, 2023

e-Transit pass form for transportation of minor mineral from mining lease/permit see rule 70(2 & 3)

Form MM-11

Owner Name: Form MM-11 No.
Lease Address: Date and Time:

1. Type of Vehicle
2. Registration No. of Vehicle
3. Name of Driver
4. Mobile No. of Driver.
5. Name of Mineral
6. Weight of Mineral (In Tons)
7. Sale value/Approximate value (Before Tax)
8. Payable CGST...
9. Payable SGST....................................
10. Payable Royalty ....
11. Name of Purchaser
12. GSTIN of Purchaser
13. Registration No. of Purchaser
14. Address of Destination
15. Total Travel Distance

This form is valid up to : Date & Time (Manual)

Geology & Mining Department

Uttarakhand

Uttarakhand minor mineral (concession) rules, 2023

e-Transit pass form for transportation of minor mineral from mining lease/permit see rule 70(3)

Form MM-11 O/S

Owner Name:
Lease Address:

Form MM-11 No.
Date and Time:

1. Type of Movement:
2. Type of Vehicle
3. Registration No. of Vehicle
4. Name of Driver
5. Mobile No. of Driver.
6. Name of Mineral
7. Weight of Mineral (In Tons)
8. Sale value/Approximate value (Before Tax)
9. Payable IGST...
10. Payble Royalty ....
11. Name of Purchaser
12. GSTIN of Purchaser
13. Registration No. of Purchaser
14. Address of Destination
15. Total Travel Distance

This form is valid upto- Date & Time (Auto generated)

प्रपत्र– एम.एम. 12

मासिक विवरणी

(नियम 73 देखिये)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,

जनपद.............................

माह/वर्ष .... की विवरणी :–

(1) पट्टेदार/पट्टेदारों का/के नाम/पते ....

(2) पट्टे का विवरण .... खनिज का नाम ....

(3) पट्टे की अवधि .... क्षेत्रफल .... एकड़ में, ग्राम .... तहसील..........................

जिला ....

(4) नियोजित श्रमिकों की संख्या .... कुशल .... अकुशल ....

माह का नाम	खनिज का नाम	माह में उत्पादन	माह में भेजा गया परिमाण	स्टाक में अवशेष
1	2	3	4	5

देय स्वामित्व /पट्टाधनराशि की नियत दर	माह में भुगतान किया गया स्वामित्व	स्वामित्व का अवशेष यदि कोई हो	अभ्युक्ति
6	7	8	9

(5) खनन योजना के अनुसार कार्य करने की रीति का संक्षिप्त उल्लेख किया जाना चाहिये और कार्य–प्रणाली की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिये।

स्थान .... पट्टेदार/पट्टेदारों या उसके/उनके अभिकर्ता

दिनांक .... के हस्ताक्षर और मोहर

प्रतिलिपि:–

(1) महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।

(2) सम्बन्धित क्षेत्र के जिलाधिकारी।

प्रपत्र–एम0एम0 13

अपील या पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना–पत्र

का आदर्श प्रपत्र (नियम 77, 78 और 79)

सेवा में,

....

....

महोदय,

(1) आवेदन करने वाले व्यक्ति/व्यक्ति विशेष/फर्म या कम्पनी या संस्था का नाम,पता.........

(2) व्यक्ति/व्यक्ति विशेष/फर्म या कम्पनी या संस्था का व्यवसाय.. ....

(3) अधिकारी के आदेश की संख्या और दिनांक, जिसके विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण दायर किया, जाए, (प्रतिलिपि संलग्न की जाय) ....

(4) खनिज/खनिजों का नाम, जिसके/जिनके लिए अपील/पुनरीक्षण दायर किया जाए............

(5) क्षेत्र का विवरण जिसके लिए अपील/पुनरीक्षण आवेदन पत्र दायर किया जा रहा है:–

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	दावाकृत क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

(क्षेत्र/क्षेत्रों का मानचित्र संलग्न किया जाएगा)

(6) क्या उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम–79 में निहित रीति के अनुसार रूपये ... . का प्रार्थना पत्र शुल्क जमा किया गया है?..

(7) क्या अधिकारी द्वारा दिये गए आदेश को संसूचित किया जाने के दिनांक के 60 दिन या 90 दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिया गया है।..

(8) पक्ष/पक्षकारों, जो बनाये गये हों, यदि कोई हो, का/के नाम और पूरा पता.........................
....

(9) याचिका की प्रतियों की संख्या, जो संलग्न की गयी हों (प्रत्येक बनाये गये पक्षकारों के लिए अतिरिक्त संख्या में प्रतियों के संलग्न किया जाना चाहिये) :–

(10) अपील/पुनरीक्षण के आधार :–

(क) संक्षिप्त तथ्य

(ख) आधार

(ग) प्रार्थना

(11) यदि अपील/पुनरीक्षण का प्रार्थना पत्र अभिकरण पत्र धारक (The holder of power of Attorney) द्वारा दिया गया है तो अभिकरण पत्र संलग्न किया जाएगा।..............................

स्थान .... भवदीय

दिनांक .... प्रार्थी के हस्ताक्षर

यदि कोई पक्षकार नहीं बनाया गया है, तो प्रार्थना पत्र तीन प्रतियों में दिया जाएगा।
यदि इनके अतिरिक्त कोई हो, तो बनाये गये प्रत्येक पक्षकार के लिए एक अतिरिक्त प्रति संलग्न की जाएगी।

आज्ञा से,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 औ0वि0/257–2023–200+100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।